clock. **The Vice-Chairman, Shri B. Satyanarayan Reddy,** in the Chair.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1988-89

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1988-89 (August, 1988).

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) ORDINANCE, 1988

II. RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) BILL, 1988

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, I move:

"That this House disapproves of of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Ordinance, 1988, (No. 3 of 1988 promulgated by the President on the 26th May, 1988."

Sir, I had on the previous occasion mentioned that of the six ordinance issued in the period of fortyfive intersession days averaging an ordinance a week, a traid of ordinances related to the State of Punjab and in that traid possibly the most difficult ordinance to accept is this one; which has a wider implication, and which in itself is the most abject admission of the failure of the Government, in its primary responsibilities, is this particular Ordinance for preventing the misuse of religious institutions. I have a primary difficulty, a principal difficulty, which has to be stated at the very outset and it has to be repeated and repeated over and over again, as I will do now, that the fact that a Government, our Government, has found it necessary to bring about an Ordinance specifically mentioning the aspect of prohibiting the use or misuse of religious places is in itself an abject admission of failure and I will just now explain this. Now, Sir, my difficulties can be categorised under those that are explicit, those that are procedural and those that are implicit difficulties.

Before I come to the explicit difficulties, a fact and a principle need to be stated at the very outset. India is not a theocratic State. The concept of a theocratic State is alien to our very swabhava, to the nature of the Indian psyche, to our dharma which does not recognise distinction between the colourings of faith. And if India is not a theocratic State and does not subscribe to theocracy, then any legislation, any interference, any attempt by the Government to define which is religious and which is not religious is bound to create difficulties and is bound to open a Pandora's box, and if you combine that with the proven and admitted incapacity of our Government, and the proven failures of this Government, then, of course, our difficulties are also multiplied.

Sir, from the Statement of Objects and Reasons which the Bill has, certain portions merit repetition. The Government has come forward with this piece of Ordinance, and has followed it up with legislation which explain itself by suggesting that the question of the misuse of the religious institutions for political and other purposes has been engaging the attention of the Government for some time. As I started by saying, the opening sentence of the Statement of Objects and Reasons is an explicit and the most abject admission of the failure of our Government in its primary responsibilities. It then specifies the context of this piece of legislation, and it mentions certain incidents in

the State of Punjab, then it relates those incidents to the specificity of the issuing of this Ordinance, as if the incidents in the State of Punjab had occurred only in the month of May, or in the week preceding that, and as if, with the past history of the last eight years, when Punjab first started simmering, when it was apparent that the misgovernance, mishandling of the total question of Punjab would lead to an explosion, it was not necessary for the State, for the Government, to start thinking in terms of the misuse of these institutions for political purposes. Therefore, the statement of Objects and Reasons given by the Government is in itself dishonest. It, of course, goes on to say what the Ordinance does. It prohibits religious institutions, or premises belonging to such institutions, for the promotion or propagation of any political activity. And it goes on about storage of arms, ammunition, etc., and about unlawful or subversive acts prohibited under the law. Secondly, it talks about not allowing the entry of any arms or ammunition in such places. Thirdly, it addresses itself to the use of fund collected by such institutions. Sir, I have said that my difficulty with this Ordinance lies because of a dishonest attempt by the Government to put across this point as against those incidents in Punjab. If one were to merely examine the descent of Punjab into this hell, and even if there were an accurate break-down of that descent, one would very easily be able to break this into two easily identifiable chapters. One was from the rise of Bhindranwale to the operation that was called 'Operation Bluestar'. It is not as if certain incidents in Punjab, to which the Government refers stated occurring in the month of may 1988. That first chapter of the descent Punjab into hell actually starts with the ascent of Bhindranwale. and that chapter concludes with Operation Bluestar. Why didn't the Government then come to the conclusion that there is need for such legislation, in the specific context of Punjab, instead of coming forward with an Ordinance now? Why was not a proper, well thought-out legislation brought to the Parliament and, if necessary, even to a Joint Committee of Parliament, so that the matter could be examined in its totality? It did not do so, because our Government, as I have said earlier, specialises in creating an illusion of legislation, a mirage of legislation, as if legislation by itself were a replacement, or an alternative to action. Legislation is not an alternative for action. If you did not act when that first chapter was only beginning or even when that first chapter had ended, now for you to come forward and say that by issuing this Ordinance, or bringing forth a successive legislation as a consequence of that Ordinance, you are acting purposefully in the specific context of the Punjab, I am not convinced. I hold, Sir, that it is a dishonest—piece of legislation—it is dishonest—because through this mirage of legislation the Government is attempting to create an impression that even in the specific context of the Punjab, it is taking a purposeful action.

The second chapter, in the context of Punjab is from Operation Bluestar to Operation Black Thunder. From Bluestar to Black Thunder was a sad spectacle of the very same mistakes that we had witnessed from the very beginning being repeated. Like that cliche of the Greek tragedy. it was unfolding in front of all of us. We were witness to the unfolding of that tragedy. and yet, the Government continued to be inactive, to misplace its emphasis, to continue to employ Punjab for partisan purposes, or to play with the politics of Punjab for partisan purposes. And, therefore, it led to the second chapter which was Bluestar and Black Thunder. I hold, therefore, Sir, that now to come forth with this half-hearted piece of legislation—

[Shri Jaswant Singh]

ill—thought, ill-digested and ill-expresed— is to compound the difficulties, not to solve them. The primary responsibility for such a state of affairs was of this Government, as you repeatedly and deliberately let Harminder Saheb be misused so that you political purposes, your narrow political purposes, of this Government, be subserved, at a point which would be chosen for the convenience of the ruling party. Our objection is not merely on the timing of this ordinance, not merely on the principle that you cannot come forward with such profund pieces of legislation through the medium of an ordinance. Our objection is not only on the date that was chosen for this ordinance. My objection to this piece of legislation also arises from the fact as to why you did not have such a legislation in 1984 or 1983 or even 1985. Why now in the year 1988, through a piece of ordinance which I can only call 'dishonest' and as really creating the mirage of legislation as an alternative for action, have you come forward with this piece of legislation?

I had started by saying that this Statement of Objects and Reasons is in itself an abject admission of failure. It is this Government that has permitted Punjab to descend into the morass that it is in now. It is this Government that is guilty, by neglect, of failing to protect the lives of thousands of innocent people that have got killed since 1988 in Punjab. It is this Government that is guilty of the non-punishment of the Delhi criminals. It is this Government whom I charge with always, whenever confronted with such a situation, of coming forward with a proxy, with a plea of extenuating circumstances and then, when none of it suffices, coming forward with yet another piece of legislation. This is my explicit difficulty with this piece of ordinance.

Now, I come to what I call the procedural difficulties. This procedural difficulty is the very act of legislating certain laws through which an attempt is made to prevent the misuse of religious places. It is another point that religious places ought not to be misused, either for collection of arms or for collection of funds which are employed for purposes which are detrimental to the interests of the State, or for any other such purposes. The existing laws of the land already do not permit such an employment of any place, leave alone a religious place, for collecting arms or for collecting funds which would not subserve the interests of the State. When this is done in a religious place, certainly it is not acceptable to anybody. The Government now coming forward with such a piece of legislation is like wearing a mantle of goodness, as if the Government was lily white in this entire mess that Punjab is and that this legislation by itself is the answer to it. The Government states the obvious. Why has the Government allowed such a state to come into being why has legislation of this nature becomes necessary? Why has this become necessary? This is the Government that is answerable for the mess that Punjab is in. Why has the Government permitted such a state to come into being? It is only because of this tendency of legislative overkill. On the 27th or 28th of May, this ordinance is promulgated in the context of Punjab. From 27th May to the convening of Parliament, what great change have you brought about in the State of Punjab, through the means of this particular piece of ordinance? Sections 2 and 3 of this Bill really attempt, to my mind, the impossible. They attempt a definition of political activity. They attempt to define a political party. They also attempt to define a religious place. Let me candidly admit that I do not make these observations as a lawyer. I do not argue the point about the content of these sections as a lawyer. Nevertheless, I am faced with some

very great difficulties. Firstly, they are about religious places The Bill that we have suggests that any place or premise used for religious worship by whatever designation know, etc. etc...

महोदय हिन्दी में एक कहावत है नदी में पड़ा हुआ है तो पत्थर है और मन्दिर में इसी को रख दें तो शालिराम बन जाता है और उसी पत्थर को पेड़ के नीचे रख दे तो वह शिव लिंग बन जायेंगे ।

When the Government is attempting to define a religious place, a religious place in a country as devout as India, when it is attempting to legally bind places of religion, through ill-drafted legislations, then it is bound to fail. Sir, almost every tree is a place of worship in India. A peepal tree in itself is an object of worship, a branch must not be cut because the tree itself is an object of worship. And, therefore, if a gathering takes place under the shade of a peepal tree, because the peepal tree is venerated, the Government says by whatever definition etc. no. Then are you going to cut that peepal or are you going to say that this religious gathering of the devout who have meeting chosen to sit under a peepal tree is not permitted because it falls within, or it invites the mischief of this particular piece of legislation? It is well-know, Sir, that every Friday prayer, every Jumma Namaz must be followed—and I would be happy to be corrected—by what is called 'khutba'. Now, inherent in 'khutba' itself is the concept that Islam is a siyasi faith, that you cannot separate Islam from 'siyasat'. It enjoins upon whoever reads the Jumma Namaz that 'khutba', which means political discourse, must take place.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): 'Khutba' does not mean political discourse. Sir, I only wanted to give the meaning of the word. "Khutba" means to address. That is all. It does not mean necessarily a political address it can be any address.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I do not for a moment challenge the greater knowledge, indeed the greater devotion of my friend. I am a a bypasser as it were. I am merely passing, this place of worship. I do hold, and I will continue to hold—even my charming friend cannot dissuade me from it—that Islam is fundamentally a siyasi religion. You cannot separate the two. Sir, Shariat law is not just a law. Shariat enjoins religious conduct. How will you separate Shariat from Islamic laws? And if you are not, I am sure, that legally perhaps, in a court of law, it came to divorce or some such matter, you could separate. The point I am making is that the *origin, the fountain-head of the inspiration* of the Shariat is this faith in Islam. There is no denying this. It is a faith which would ennoble, which would provide sustenance, which would pour into an Islamic society the cement of togetherness. You are saying that we do not accept, that cement, because that cement is politically activated. 'Khutba' might be or might not be a political discourse—yet you could not divide, you could not find a line to say that, here this much is discourse, this is political, and this is not political. No Government would be able to stop 'khutbas' in Jumma prayers. And if it is not able to stop 'khutbas' then how will you be able to stop political activity in masjids?

3.00 P.M. I am not, what you might call, a practising Hindu. Perhaps, Ratnakar Pandeyji would find great fault with me as a Hindu. Perhaps, my own family would find great fault

[Shri Jaswant Singh]

with me as a practising Hindu. But even I hold — I am a witness to — that whenever events, political or otherwise, deeply torment Hindu society, there is a natural a tendency to congregate in a temple—I am talking about our rural society—be it a political question or be it a social question—and to come to decisions in that temple. Not because decisions made in that temple have any religious sanction, but because somehow, they are more than cementing. Because I hold, Sir, that the fundamental truth, as I started by saying, of this country is that this country is not a theocratic country. At the same time, the most moving aspect, the most beautiful aspect, to me of India is the continuity of the nation. And that only because of the constructive faith of its people; deep faith which moves the masses of India whatever be the colouring of that faith. But we, including the Government, have insufficient understanding of this fountain-spring of this faith. Secondly, because we are persuaded by alien phraseology, by importing half-digested occidentalism; therefore, as opposed to a theorcracy, as opposed to a theocratic State, we regurgitate state arguments about secularism. I am witness to a number of Sunday Masses in the churches in which the holy clergy, or bishops of standing, or even cardinals, do make political suggestions if not pronouncements. In like fashion, I have been benefited greatly while I was serving in the Armed Forces. In the Armed Forces, what ever be your faith, you would get the denominational place of your faith to exercise your right of worship. I have been benefited greatly on many occasions by going both to the Harmandir Sahib and other Gurdwaras whenever I have been to Harmandir Sahib—not now, earlier—I have always been filled with a sense of great peace, filled as that place is with light and air. My friends from Punjab claim that their faith is inseparable from politics. I have spoken only of the major faiths of this country. If they are not able to separate it, I do not know how the Government is going to legislate and effect that legislation.

I will give two more examples. We enacted in this House the Wakf Act. I think, it was in 1984. Perhaps, my colleague, Advaniji, would be able to correct me if he can recollect. It was enacted here. It went to the Lok Sabha. It came back here again. It was enacted. But because of the objections raised by moulvis and others the law which was enacted by both Houses of Parliament I do not know where it now collects dust. Here is another example of direct intervention of politics. I do not know whether the Government would be able to convince me how it is going to achieve this separation. I confine myself only to religious places and to political activity.

Government has also attempted to define 'political party' in this piece of legislation. I have great difficulty with that definition also. I think that definition is going to create as many difficulties in times to come for us as other attempts to confine wider concepts into narrower concepts. Sir, time would not permit me to expand at any great length on the third aspect of my difficulty which was implicit in what was stated by the hon. Home Minister in the other House. I read with some incredulity when he said, that this piece of legislation is the first attempt to separate religion from politics. I would be happy if the hon. Minister of State explains to me how we are going to do it how is the Government attempting to separate religion from politics and how is this the first step because only then I will be able to comment on this attempt.

I would leave a thought with him because that would perhaps enable

him to better explain how the Government is attemping to separate religion from politics. And that thought is, I would submit to the hon. Minister of State not to understand religion only in the limited sense in which the word in English conveys itself. I would request the Minister to understand that the 'dharam' that India accepts is not religion and if 'dharam' is not religion, 'dharam' is not as limited as the word religion, and if 'dharam' be the basis of India's continuity, 'dharam' be the basis of nation's survival through centuries of foreign oppression or famine or whatever, what assaults are you going to make by your limited understanding of the word religion, of the word 'dharam' and how are you going to influence Indian politics? I would request the Minister to further explain to me that the very origin of the word "niti" comes from an understanding of what 'dharam' is and 'dharam' is not religion, and if you foresake 'dharam' and if you foresake 'niti', then you will not have 'rajniti', you will only have 'aniti'.

—

I would request the hon. Minister of State to take one other factor into account. Is not the Government getting carried away by these attempts to invade the sphere of private faith by believing, or putting across, or projecting that respect for divinity be replaced by the State or by the Government, and that the Government alone ought to become the final, secular reality and all else is to be regarded as illegitimate and as destructive to the health of a secular order.

Two more things, Sir. I would request the hon. Minister of State, when answering this question to me, to share with me two or three quotations and I will conclude. "Politics cannot be divorced from religion. comes debasing." It is a speech made by Mohandas Karamchand Gandhi at YMCA, Madras, on 28th April, 1915.

Mr. Gokhale taught me, "the dream of every Indian who claims to love his country should be to spiritualise the political life of the country and the political institutions of the country". This is one aspect. One more specific aspect is this. Gandhiji in the Harijan used to engage in questions and answers. A question was asked of him: "In your auto-biography, you have said that you cannot think of politics apart from religion. *Do you still hold that view?* If so, how is it that in a country of many diverse religions like India, you expect a common political policy?" The answer was: "Yes, I still hold..."

"I cannot concede politics as divorced from religion. Indeed, religion should pervade every one of our actions. Here religion does not mean sectarianism. It means belief in ordered moral government of the universe. It is not less real because it is unseen. This religion transcends Hinduism, Islam, Christianity. It does not supersede them. It harmonizes them and gives them reality."

SHRI BAHARUL ISLAM (Assam): By that he means ethics and morality. It transcends.

SHRI JASWANT SINGH: I think that really underlines my point. It ethics and morality come to us—Justice Islam says ethics and morality—I do hold my honourable colleague, Justice Islam, would not refute me that the ethics and morality that he subscribes to do also have a fountain, do also have an origin in the Shariat law. Would you be able to separate ethics and morality to which you subscribe and say they are independent of the Shariat law? He cannot do it, and because he cannot do it, my point gets enlarged. Therefore, I

[Shri Jaswant Singh]

able Minister of State explains this point of separation, he would elaborate it.

Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to prevent the misuse of religious institutions for political and other purposes, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Government has been watching with concern the flagrant misuse of religious places for purposes other than religious. There was overwhelming evidence that religious places were being misutilized A number of such places were being used as sanctuaries for criminals, anti-nationals and terrorists. Firearms and ammunition were being stored at these places Absconders, declared so by law, were being given shelter. Funds collected from worshippers for holy purposes were being misutilized for illegal activities. By such practices, the administration of the criminal justice system was coming to a grinding halt.

Sir, I am sure that the House will agree with me that such a state of affairs could not be allowed to continue any longer. It was under these circumstances that the government was compelled to make specific provisions in law to curb these activities in religious places. The President of India promulgated the Religious Institution (Prevention of Misuse) Ordinance, 1988 on the 26th of May, 1988 as Parliament was not in session. The Bill seeks to replace the above Ordinance.

Sir, honourable Member, Mr. Jaswant Singh, while moving his Statutory Resolution, has raised a number of issues which are quite vital and important. I assume that he speaks for his political party and what he said represents the official line and position of his political party.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I would just like to correct the honourable Minister's version. When I participate in the House, of course, I participate as a Member of the party which I have the distinction and honour to belong to. Quite often I participate in discussions when I am so moved about the issues that what I may say need not necessarily be my party's views. Therefore, in today's participation, whatever I have said, I have said, in my individual capacity as a Member of Parliament, and if it be at variance with my party's viewpoints, that is an internal matter between my party and I and not anything for the honourable Minister of State to be concerned about

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am greatly relieved to know that the official position of his party may be different from his personal viewpoint because I would have been quite concerned if the party to which he belongs were to take an official position and an official line along the lines which he has advocated while bringing his Statutory Resolution. I would, therefore, look forward to listen to hon. Member Advaniji or Vajpayeeji or anyone else. I would look forward to your participating in this debate.

Sir, firstly, about the timing of this Ordinance, the Ordinance was made on the 26th May, 1988. It is not as though the Government had not notified its intention of making laws to separate religion from politics. This Government stands committed to the principle that politics and religion

have to be separate and have to remain separate.

Sir, there are hundred and thousands of religious institutions in this country, hundreds and thousands of religious places. In all but a handful of these places there is no political activity. That is the reality on the ground Come to my State of Tamil Nadu. That is the State I know best. I will take you round the temples of Tanjavoor, Madurai and Ramanathapuram, I will take you to Velankanni, I will take you to Nagore which are places of worship of the Hindu religion, Islam, Christianity. Not one of these is used for any kind of political activity. Yes, in the past, and sometimes even now, there are discourses, there is some dance and other cultural performances. But in none of these historical places is there any political activity. I believe that that is true of most institutions in the country. That is how they should be. That is how they always were, and that is how they should be.

But in recent times we have witnessed a very disturbing trend, namely, individuals and organisations using a religious place as a sanctuary for carrying on political activity, worse for carrying on activity which is clearly anti-national, illegal, carrying on activities which may be characterised as violent and terrorist.

One does not make a law just for making a law. One makes a law with a purpose. It is a well accepted principle of legislation that one tries to find out where the evil lies and makes a law to cure that evil. You do not have to make a law for every perceived evil. But when the evil assumes a dimension which threatens the unity, integrity and the stability of the state, which threatens the lives of the people, then, one must make a law.

Sir, from time to time we hear criticism about ordinance making. I think I should answer that criticism now. The legislative power, the legislative duty of Government is not suspended when Parliament is not in session. On the contrary, the Indian Constitution contemplates making legislation when Parliament is not in session. It would be a wholly incorrect reading of our Constitution to say that the duty cast upon Government to make laws will remain suspended for the period when Parliament is not in session. No Government can do business that way. Since 1985, after this Government came into office, in the last three years, seven months and seventeen days, the Rajya Sabha has passed 277 Bills. Compare that with a small number of ordinances which have been promulgated in the last three-and-a-half years.

This ordinance is an important ordinances This ordinance was made in the full consciousness that was are exercising the ordinance-making power It was made immediately after operation Black Thunder. We made it because we were afraid that one of the most hoary historical and revered places of worship in India would once again be turned into a sanctuary for terrorists and other anti-nationals. This ordinance was, therefore, rightly made on 26th of May. I can show you the newspaper editorials of 27th of May and 28th of May supporting this. Barring perhaps one political party, which I shall not name now, as everyone knows, every other political party in this country, every newspaper, every right-thinking individual has welcomed this ordinance. It is, therefore, uncharitable and unfair to criticise the Government for making the ordinance on the 26th of May.

The hon. Member, Mr. Jaswant Singh, read out a list of charges of omissions and commissions of the Government between Blue Star and

[Shri P. Chidambaram]

Black Thunder. Let me say, it is this Government which has stood like a rock when others had retreated in confusion and despair; it is this Government which has consistently stated and restated the fundamental postulates for a political solution in Punjab, while others still grope in darkness; it is this Government which is alive to the perils of terrorism and which has set its face against appeasement of terrorism while others had pleaded for weak-kneed compromises. I, therefore, reject with all the emphasis at my command the criticism of the hon. Member, Mr. Jaswant Singh, against the conduct of this Government leading to this ordinance.

The hon. Member spoke about India not being a theocratic State. At the same time he gave his own definition of secularism. In fact, more than defining secularism or describing secularism, I thought he was almost denigrating secularism. He called it a half-digested occidentalism. He also used other words. I could see the sound and the fury, but I think they signify nothing.

Secularism is an article of faith as far as the Indian Constitution is concerned, as far as the Indian people are concerned. We are not going to dilute our commitment to secularism. Secularism means that the Church and the State, religion and the State, shall remain apart. The history of the world is replete with periods where the Church and the State were locked in battle. If democratic politics, as we know, must take root and must thrive, we must keep the State and the Church separate. In the course of my reply to the debate, I shall speak at greater length on the subject.

The hon. Member said: How can you define a religious institution? He should have asked this question 38 years ago to the founding fathers of the Indian Constitution. Entry 28 of List-III of the Indian Constitution mentions the religious institutions. Article 25 sub-article (2) (b) speaks about law providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. The expression 'religious institution' is an expression which occurs in the Indian Constitution. It occurs in a large number of laws. Courts of this country know what a religious institution is. More than that the common people of this country who do not have the advantage of occidental influences which seem to sway the mind of the hon. Member. Mr. Jaswant Singh, know what a religious institution is. This Bill is a first step towards separating religion from politics. Other Bills are under contemplation. We hope to introduce at least one more Bill in the near future. This Bill has a very limited purpose: places which are acknowledged as places of public worship, places which are religious institutions shall be kept free of any kind of political activity. 'Political party' is defined in other laws and we have borrowed that definition and put it in this Bill. Political activity is a definition that we have attempted and I am willing to seek the advice of hon. Members here if we can improve upon that definition. But to say that we have attempted the impossible that we cannot define a religious institution, we cannot define a political party, we cannot define a political activity perhaps, it is impossible for one who believes that religion and politics should not be separated. But those of us who believe that religion and politics should be separated, that any attempt of religious priests or religious heads to influence the course of politics in this country must be nipped in the bud, for us it is not impossible. In fact, this Bill is the result of the most careful and anxious deliberations on the subject and taking the best legal advice that we have been able to obtain.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : रामायण के नायक का क्यों इस्तेमाल किया गया चुनावों में ?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आपका जब नम्बर आएगा तब आप बोलिए।

SHRI P. CHIDAMBARAM : I am sure that will be answered in the debate.. (*Interruptions*)... Therefore, Sir, it is possible to define religious institution... (Interruptions)... If there are any aberrations if there are any deviations from policy, it only means that we must resolve to avoid those aberrations and those deviations. It does not mean that the policies are wrong. It only means that some of us must be more careful. Some of us must be more guarded. Some of us must be more resolute in setting our face against mixing of religion and politics.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): In Kerala you have alliance with Muslim League. Non-Muslims are not admitted into this organisation. Will you break your alliance? ...(*Interruptions*)...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Some people have short memories. Some people have selective amnesia. We know who started an alliance with the Muslim League. We also know that the 7 party front has found a sole representative in Tamil Nadu. Who has an alliance with the Muslim League which is opposed by another ally?

SHRI RAM AWADHESH SINGH : You have started in 1969.

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप बाद में जब बोलेंगे तब ये बातें कह सकते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: In fact, if I begin to narrate the various links between one party and the other in the 7-party extended or extendible front which has within it a still-birth of four parties, I think you will be more careful in accusing the Congress party of playing the communal card. ...(*Interruptions*)... Sir, I sincerely hope that sometime during this debate, members of this front members outside this front, members who are looking at the front from outside and members who are looking outside from this front will explain the mind-boggling variations that are coming up in Tamil Nadu politics particularly between the CPM, the Muslim League and the DMK and when those things are expalined, I am sure, hon. Members will be when and will be enlightened about...(*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): You made a very good speech. (*Interruption*)... If the Congress porty is committed to secularism, then what for Arun Govil was taken to Allahabad?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Mr. Gopalsamy, when your turn comes, you can say all this.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, from the very beginning, I have been very careful. Sir, the boot is on the other leg. From the first word until just five minutes ago, I tried to steer clear of political controversy, particularly sterile political controversy, and I stuck to my subject and my brief, but when someone accuses the Congress party of being communal or in alliance with communal forces, then I am bound to answer...(*Interruptions*)

Shri N. E. Balaram should turn-round to that side and speak...(*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY: We will handle the situation in Tamil Nadu.

SHRI P. CHIDAMBARAM: As a final word, Sir, let me read from the "Hindustan Times" of 29th of May, 1988.

"The Bhartiya Janata Party has welcomed the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Ordinance, promulgated by the President of India and an amendment to Arms Act, as a step in the right direction. The BJP suggests immediate action

[Shri P. Chidambaram]
plan on three fronts. Foolproof arrangements be made inside and around the Golden Temple to prevent the entry of terrorists and their arsenal inside the holy shrine complex. Extensive combing operation to be undertaken in the Manned area and other border districts to smash the dens of the terrorists, recovery of illegal arms and secuity belt must be made forthwith to stop smuggling of arms across the border."

So, I think, this is an adequate answer to the statutory resolution, moved by my hon. friend, Mr. Jaswant Singh, which admittedly is in his individual capacity. I sincerely hope that such voices of dissent are few and far between and I sincerely hope that the House will unanimously welcome and support this Bill.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Now, both the resoution and the motion will be taken together.

श्री अब्दुल समद सिद्दीकी (कर्णाटक) : वाइस चेयरमैन साहब, ऐसा लगता है कि यह बिल सिर्फ गुरूद्वारों को पेशेनजर रख कर बनाया गया है । आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, वे हालात किसने पैदा किए हैं ? जसवंत सिंह जी ने ठीक कहा कि भिंडरावालां से लेकर आपरेशन ब्लू स्टार और फिर ब्लैक थंडर ये हालात को बद से बदतर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं । इसमे इंकार नहीं है कि पंजाब के अंदर ऐसे हालात पैदा हुए जिनका तकाजा यह था कि ऐसा कोई बिल बनाया जाए लेकिन हिन्दुस्तान भर के अंदर जहां हजारों-लाखों इबादतगाहें हैं वहां क्या यह बिल मिसयूज नहीं होगा ? मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल फिरकापरस्ती के खिलाफ कम और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होगा । उसकी बड़ी ग्लेरिंग मिसालें मौजूद हैं । आपको याद होगा गुजश्ता सालों में दिल्ली से निकलने वाला एक अखबार "नई दुनियां" के एडिट शाहिद सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने अखबार मे जगजीत सिंह चौहान का एक इन्टरव्यू छापा था । हालांकि उसी अखबार के एडिटोरियल मे उन्होंने जगजीत सिंह चौहान के खिलाफ मजम्मत की थी लेकिन उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और उन्ही तारीखों में आपको भी याद होगा कि बम्बई की "इलस्ट्रेटिड वीकली" मे भी वह इन्टरव्यू छपा था । लेकिन निशाना कोन बना सिफ शाहिद सिद्दीकी बना । मेरा कहने का मतलब यह हैकि इन्टरप्रेटेशन और जो रिपोर्ट मुरत्तब की जाती है वे रिपोर्ट एसी होती है कि उसी को पेशेनजर रखते हुए कोई हुकुमत कदम उठाती है । उसका सही ट्रांसलेशन हुआ या नहीं, सही नियत से पेश किया या नही यह देखना बड़ी अहम बात है । अभी खुतबे की बात चली । खुतबा किस किस्म का होता है ? क्या होता है ? बात सिर्फ जामामस्जिद दिल्ली की नहीं है हिन्दुस्तान के हर शहर में, हर गांव में मस्जिद है लेकिन खुतबा सियासी नहीं होता । लेकिन यह मुमकिन है कि ओहदेदार एक गलत रिपोर्ट रख दें जिसके नतीजे में किसी को भी अरेस्ट किया जाये और जिससे जो हरेसमेंट पैदा हो वह हरेसमेंट एनकाउंटर भी हो सकते हैं । आपकी मंशा यह है कि हालात काबू में किये जायें व हालात जो खुद हुकुमतें-बक्त ने की हैं । ऐसी सूरत में क्या पूरे मुल्क में इंतशार और कियोस पैदा नहीं की ? यह जो मेरा एपरिहैशन है उस पर आपको गौर करना चाहिए कि बजाय फायदा होने के नुकसान ज्यादा है । जो हालात आज हैं मुल्क के अंदर पंजाब से हट कर वे भी अच्छी नहीं हैं । उन हालात को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा दखल कलम का रहा है, लिटरेचर का रहा है । बेहिसाब कम्युनल लिटरेचर जिसमें दिल जलाने की बात होती हैं जिसमें कीचड़ उछाली जाती हैं । बड़ी शिद्दत के साथ इस अंजाम पर पाया हूं कि उस लिटरेचर के अंदर कम्यूनल अंदाज से सोचने वाले, कम्यूनल अंदाज पर लिखने वाले, बोलने वाले जो है इनको समाज के अन्दर बड़ी रिस्पैक्टीबिलिटी मिलने लगी है और यह बड़ी गम्भीर बात है ।

इससे मुल्क का माहौल बद से बदतर होता चला जायेगा। क्या आप ऐसा कोई सख्त तरीन कानून बनाने जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा लिट्रेचर लिखते हैं या ऐसी बातें अपनी तकरीरों में कहते हैं? अगर आप कोई सख्त तरीन कदम उनके खिलाफ नहीं उठाते हैं तो आने वाला कल बड़ा भयानक होगा। यह कानून, यह बिल, जो आप बना रहे हैं इसके लिए मेरे एप्रीहैंशन इसलिए भी ज्यादा हैं कि आज जिन लोगों के हाथ में एकतदार है वे सेकुलेरिज्म से बहुत हद तक दूर हैं। वे अपने आप को सैकुलर जरूर कहते हैं, लेकिन सैकुलर नहीं हैं। अभी वजीरे ममलिकत अपनी तकरीर कर रहे थे। लेकिन क्या सेकुलेरिज्म में अरुण गोविल को इलेक्शन में राम का रूप देकर पहुंचाया जा सकता है? शायद हिन्दुस्तान की तारीख में और खुद कांग्रेस की तारीख में एसा कभी नहीं हुआ जहां हर जलसे में हर-हर महादेव और श्रीराम जी के जय के नारे लगे हों। लेकिन इलाहाबाद के बाई-इलेक्शन में यह हुआ। कैसे हम तवकू करें कि इस कानून का नाजायज इस्तेमाल नहीं होगा। पहले फ्यूडल स्टेट में एक सैल हुआ करता था जैसा हमारे नैबरिंग स्टेट हैदराबाद मे हुआ करता था जिसका मंशा यह हुआ करता था कि जो जिप्सीज हैं, भील हैं, गौड़ हैं, इन लोगों की मूवमेंट पर नजर रखी जाये। ये छोटे-मोटे क्राइम या जुर्म करते थे। आज 40 साल के बाद भी माइनोरिटी सैल होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। क्या कांग्रेस की हुकुमत हिन्दुस्तान के सारे मुसलमानों को जरायम पेशा समझती है कि उनके लिए माइनोरिटीज सैल रखा जाये? जब हुकूमत का रवैया मुसलमानों की नई या माइनोरिटीज की नई ऐसा हो तो सोचिये कि इसका इमकान यह नहीं है कि इस बिल का गलत तरीके से इस्तेमाल भी नहीं होगा और इस बिल का नाजायज इस्तेमाल नहीं होगा? इसमें बे हिसाब मासूम लोगों को हैरास भी किया जा सकता है। इसका इलाज क्या है? इस हैरासमेंट से बचाने का आपके पास क्या रास्ता है? खासतौर से इस बिल के क्लाज 3(ई) का आप मलाहिजा करें। 3(ई) कहता है:

"For erecting or putting up of any construction or fortification including basements, bunkers, towers or walls without a valid licence or permission under any law for the time being in force, "

आप जानते हैं, जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, बेहिसाब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हिन्दुस्तान भर में चल रही हैं और खास तौर से कर्नाटक के अन्दर काम हो रहे हैं जिनमें लोकल प्रोब्लम बेहिसाब होते हैं, म्युनिसिपल्टीज में तकलीफ होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन हासिल नहीं होती है और कभी कभी ऐसा होता कि इमरजेंसी पैदा हो जाती है छोटी सी दीवार बनाने के लिए। तो क्या इस छोटी सी बात को लेकर किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाये, किसी को भी होम किया जाये। कम से कम इतना तो होना चाहिये कि जो डेवलमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको न रोका जाये। जो म्युनिस्पैलिटी के लोकल कानून है, जो रियासती हुकूमत के कानून हैं इनके लिये काफी हो और वे कंस्ट्रक्शन की परमिशन हासिल कर अपना काम करें। खासतौर से इस बिल के अंदर यदि आप यह चाहते हैं—

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : कंस्ट्रक्शन की बात इस बिल में है क्या?

श्री अब्दुल समद सिद्दीकी : इसमें है। मैंने अभी क्लाज 3 (ई) पढ़ा है Shall I read it? It says:

"for erecting or putting of any construction or fortification, including basements, bunkers, towers or walls without a valid licence or permission under any law for the time being in force;..."

SHRI P. CHIDAMBARAM: You are not thinking of having bunkers and towers in a mosque, I hope.

SHRI ABDUL SAMAD SIDDIQUI: "...any construction in the premises of a mosque or temple.... "

क्या जरूरत पेश आई इस क्लाज को इसमें रखने की यह मेरी समझ से बाहर है। इससे किस तरह से कंस्ट्रक्शन की ऐक्टिविटीज होंगी ? न मीनार बन सकती है, न दीवार बन सकती है। एक बड़ी अजीब चीज है। इस बारे में कम से कम मंत्री महोदय हमको बता दें कि इस क्लाज की अहमियत क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो यह बिल महज पंजाब में जो अबनार्मल हालात हैं उसकी वजह से बन रहा है और दूसरी तरफ यह जो है इसका नाजायज इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके कारण हरेसमेंट भी हो सकता है और यह जो ब्यूरोक्रेसी है यह इसका मिस-यूज कर सकती है या पोलिटिकल पावर जिनके हाथ में है वे इसका मिस-यूज कर सकते हैं। इस बारे में मेरी गुजारिश इतनी है कि इस बिल का मिस-यूज न हो इसको देखने की जरूरत है। शुक्रिया।

श्री दरबारा सिंह (पंजाब) : वाइस चेयरमैन साहिब, यह एक स्वागत योग्य बिल हमारे सामने पेश हुआ है। बहुत मुद्दत से मैं इस बात की कोशिश कर रहा था और इस हाउस में कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जो मिसयूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है इसमें रुकावट होनी चाहिये और पोलिटिक्स से रिलीजन को अलहिदा करना चाहिये। एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने इसका जिक्र यहां पर किया और मुझे आज खुशी है कि मिनिस्टर साहब ने निहायत वाजे अल्फाज में इस बिल को हाउस के सामने रखा। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों वे उनका गलत तौर पर इस्तेमाल करके पोलिटिकल तौर पर अपनी ताकत को हासिल करने के लिये जो कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट डाली जानी चाहिये। आज यहां कहा गया कि रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है। सारा हिन्दुस्तान अगर उसका कल्चर लेता है तो ठीक है। लेकिन यहां रिलीजन तो मुखतलिफ किस्म के हैं हिन्दुओं का मुखतलिफ है, क्रिश्चियन का मुखतलिफ है, सिखों का मुखतलिफ है, मुसलमानों का मुखतलिफ है यह ठीक बात है। लेकिन कोई यह तो बता दे किस मजहब में यह लिखा है कि किसी का खून किया जाये, किसी को मारा जाये, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई जाये कि यहां उनको खत्म कर दिया जाये या उनको खत्म करना चाहिये। ये चीजें तो रिलीजन के मामले में रुकावट डालती हैं। किसी भी मजहब का कोई भी आदमी क्या उठकर यह कह सकता है कि रिलीजन मे यह लिखा हुआ है ? नहीं लिखा हुआ है। यह रवाई तौर पर है, यह सारे धर्मों में पूरी तौर पर और नुमाई तौर पर दिया हुआ है और इसका कोई उल्घलंन नही कर सकता। इसके आगे कुछ नही कह सकते है। मैं इसलिए इस बात को सामने रख कर यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान की तवारीख में ऐसे वाकायत हुए है जिनसे हम को सबक लेना चाहिये। आज यह बिल आया है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहते है कि एक साल पहले आना चाहिये था, दो साल पहले आना चाहिये था। हालात ने हमें एक रास्ता दिया है, किस किस ढंग से हम आगे बढ़े हैं, यहां आ कर लोगों ने यह देख लिया है कि इस बिल को लाने का जस्टीफिकेशन आज है इसलिए यह बिल लाया गया है। इसका अंत आ गया था और इस का पूरे तौर पर जस्टीफिकेशन आज है। लोगों ने अपनी ताकत हासिल करने के लिए उस में रुकावट डाली। हमारे देश के हित में, नेशनलिज्म के हित में, अगर सेकुलरिज्म के हित में निहायत जरूरी है, ताकत लेना, मैंने बार-बार यही कहा मुझे खुशी है मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हाऊस में कहा था कि हम ऐसा बिल लाएंगे और आज उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है। मैं यह भी कहता हूं कि रिविजन किस को कहते हैं इसकी इन्होंने बहुत डेफिनिशन दी है। हम यह कहते हैं कि यह फेथ और वरशिप है जो सन्तों, महात्माओं और

पैगम्बरों ने दिया है उसके रास्ते पर चलने को हम रिलिजन कहते हैं। अगर कोई यह समझे कि उस रिलिजन को ऐसा रास्ता दिया जाए जिसमें कि तफाकत हो, फर्क पड़े, कनफिल्क्ट आए, एक दूसरे के सिर फोड़े जाएं वे लोग आज ताकत हासिल करने के लिए इस ढंग से मोड़ दे रहे है धर्म को। यह बात इसलिए हम कहते है कि हमने तजुर्बा किया है, हमने देखा है पंजाब में जो कुछ हुआ है। आज यहां ब्लैक थंडर का जिक्र किया गया इससे पहले ब्लू स्टार का जिक्र किया गया। मैं यह पूछता हूं कि यहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं शायद उन में से कम इस वक्त इस हाउस में बैठे हों उनको याद होगा कि एक ट्राइपार्टाईट मीटिंग हुई थी। उस ट्राइपार्टाइट मीटिंग में किसी ने भी इस मसले के हल के लिए कोई रास्ता नहीं दिया था सिवाय इसके कि एक खास पार्टी के नुमाइंदे ने जो उस वक्त खुराफात कर रही थी उसकी मदद करने के लिए सारी चीज दी ताकि सरकार को इस ढंग से मजबूर किया जाए कि वहां कुछ नहीं कर रही हैं। मैं आज इस बात को यहीं पर छोड़ता हूं, वह बात वहीं खत्म हो गई लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे हालात हो गये थे। मैंने इस हाऊस में उठ कर व्हाइट पेपर पर कहा था कि जब आप्रेशन ब्लू स्टार हुआ था तो मैंने कहा था जिन फौजियों ने औरतों और बहनों को वहां से निकाला था उनके साथ जो कुछ हुआ है वह आज भी मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। आज ब्लैक थंडर में लोगों ने सब ने देखा हिन्दुस्तान ने देखा मगर दुनियां ने देखा टी०वी० पर कि किस ढंग से लोगों से व्यवहार करते थे जो बैठते थे उन प्रिमिसेज में। यह कहा जाता रहा है कि यह सम्पलेक्स है, कौन सा कम्पलेक्स है, गलत तौर पर प्रेस में भी आता रहा, गलत तौर पर यह सवाल उठता रहा कि यह कम्पलेक्स है। कम्पलेक्स कहा है, वहां रास्ता है, म्युनिसिपेलिटी की सड़क है, एक तरफ दफ्तर है दूसरी तरफ गुरुद्वारा है बीच में कोई चीज नहीं है। तो आपने कम्पलेक्स को कैसे समझा कम्पलेक्स तो सारा पंजाब है और सारा हिन्दुस्तान हुआ। बिल्डिंग्ज जो अपनी रिहायश के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं वहां रहते हैं वहां सब चीजें सिवाय धर्म प्रचार के बाकी सब कुछ करते हैं उस जगह को अगर यह कहें कि वह कम्पलेक्स है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि वह जगह है यहां से अपने पांव धो कर उस प्रिमिसेज में जाते हैं उसको कहते हैं पवित्र जगह हैं, पवित्र स्थान है, लेकिन उसी स्थान में वो लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने सारी बिल्डिंगों को नये सिरे से प्रिसिंक्ट्स बनाए अपने रहने के लिए अपनी घरवालियों के रहने के लिए और ऐसी जगह वहां इस्तेमाल की गई जहां लोगों को टारचर किया गया और मारा गया। डेब्रिज में से जो निकले हैं, कौन निकले हैं, कहां से निकले हैं, कहां से मर कर आए है और किन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है, किस ने रुपया लेने के लिए रुपया एक्सटार्ट करने के लिए और औरतों के साथ क्या क्या बदसलूकी नहीं हुई है। आपने इस बात को देखा और छोड़िये इस बात को यह बहुत घिनौनी बात है लेकिन सब से ज्यादा अपवित्र उस स्थान को किया गया जिसको हम सब से ज्यादा मानते हैं उस जगह को हिन्दू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। वह है हमारा हरमन्दिर साहब। उस हरमन्दिर में दो तीन रातें उन्होंने गुजारी हैं और वहां से टट्टी पेशाब निकला। मुझे कोई इस बात को बताये कि वे उस रिलीजियस स्थान को पाक साफ रखने वाले हैं या उसको बरबाद करने वाले हैं। उन बरबाद करने वालों से उन्होंने उसको रिहा करवाया है। वे बाहर निकले, हाथ खड़े करके निकले। वहां से बहुत से बहादुर लोग निकल कर आये। उन्होंने बयान दिये हैं। मैं तो गवर्नमेंट से कहूंगा कि उन्होंने जो बयान दिये हैं उनको गवर्नमेंट शाया करवाये ताकि पता चले कि दुनिया में इतनी-इतनी जलालत की बातें हुई जितनी उस जगह पर हुई हैं जिसको हम पवित्र स्थान मानते हैं और वहां जाकर अपना माथा रगड़ते हैं। यह रिलीजन जो

[श्री दरबारा सिंह]

है यह किसी खास की अपनी बात नहीं है यह परमात्मा और आत्मा में रिश्ता है इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं है। आप गुरुद्वारे में जाएं या अपने घर पर परमात्मा को याद करें हमें कोई एतराज नहीं है। यह इंडिवीजुअल और गाड के दरम्यान का रिश्ता कायम करने के लिए मजहब है। मजहब इसलिये नहीं है कि वहां जाकर ऐसे गंदे प्रचार किये जायें और लोगों का खून पीने के लिए उनको मारने के लिए सारे इंतजामात किये जायें। इसलिये कोई वजह नहीं है कि ऐसे स्थानों में कोई रुकावट न डाली जाये कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया की आर्टिकल 25 और 26 में क्या है। मैं समझता हूं बहुत देर हुई उस एक्ट को बने हुए। लेकिन उस एक्ट में एक गलती हुई जिसको मैं मानता हूं। गवर्नमेंट ने, सारे लोगों ने पार्लियामेंट मे बैठकर यह फैसला किया और उस आर्टिकल में बताया कि कोई भी रिलीजन जो है और गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, उस रिलीजन मे ज्यादती नहीं होगी और साथ में यह भी है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट तो करेगी लेकिन उसका प्रोमोशन नहीं करेगी। वहां प्रोमोशन हुई है। सारे धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन्स अलहिदा बनाने के लिए गुंजाइश है। लेकिन वहां एक एक्ट बना और उसके मुताबिक है कि सरकार उसका चुनाव कराये और चुनाव होते रहे हैं। वहां 5 साल के बाद गुरुद्वारे का चुनाव कौन कराता है? वह सरकार करवाती है और सरकार के बजट मे मे लाख रुपये इस बात के लिए खर्च किये जाते हैं कि वह उन मेम्बरों को चुनकर वहां भेजे जो शिरोमणि कमेटी के मेम्बर बनने होते हैं। जो अमृतसर का डिप्टी कमिशनर है वह उस हाल में ? कर उनका चुनाव करवाता है। वे तो हमेशा कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट दखल देती है। तो आप वापस लो उसे। कहो अपने आप चुनाव करते हैं क्यों गवर्नमेंट का चुनाव के बीच में दखल लेते हो। दखल भी कहते हैं लो लेकिन उस हद तक लो जिस हद तक उनको मुफीद है और वह इसको एक्सप्लायट कर सके। यह आज नहीं बहुत दिन से कहते रहे हैं कि पंथ इज इन डेंजर। डेंजर पता नहीं कहां है। हर वक्त डेंजर डेंजर दिखाते जाना यह कहां की सियासत है और मैं समझता हूं कि यह कांस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल 25 है यह आर्टिकल वाजिया तौर पर लागू होनी चाहिए और किसी के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

यहां हमारे एक दोस्त थे, बहुत इल्म जानने वाले और इंटेलेक्चुअल, उन्होंने कहा कि हमारी पोलिटिक्स मिक्सचर है। मैं समझता हूं कि सिख भी यही कहते हैं कि हमारा धर्म और सियासत इकट्ठे है। कहां धर्म और सियासत इकट्ठा है? अगर धर्म और सियासत इकट्ठा होता तो वहां से चलता। इस्तेमाल करने के लिए आप जरूर कर रहे हैं क्योंकि पावर लेनी है। ताकत लेने के लिए ही गुरुद्वारों का इस्तेमाल होता है। मस्जिद में बैठकर लोग ऐसी आवाजें दे रहे हैं चाहे बुखारी हो या कोई और हों, ऐसे ही मन्दिरों में भी चल रहा है यह सबके लिए रुकावट की बात है। अकेला पंजाब नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में आपके इस बंदोबस्त को लागू होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आज जो हमारा धर्म है हम उस धर्म को धर्म तक महदूद रखें और गुरुद्वारों, मन्दिर मस्जिद या गिरजे में सिर्फ इसलिये जायें कि हम अपनी आत्मा को अपने को शांति देने के लिए कुछ दुआएं कर सकें। इंडिवीजुअल का और गाड का रिश्ता इसके बगैर कुछ नहीं है

4 P. M. सियासत में अब चेंजिज आ रही हैं। अब टैक्नौलोजी आ रही है और सब कुछ आ रहा है। अगर धर्म में भी कोई अच्छी चीज है तो उसे कौन अपनाता है। अब जो इन जगहों पर काबिज हैं वह क्या कहते है, उल्टी तारीफ करते हैं जो धर्म मे नहीं हैं। वह कहते हैं कि यह लिखा है और यह होगा तो वह होगा। यह होगा तो वह

होगा । वह कहीं लिखा हुआ नहीं है । वह अपनी ही तजवीज़ें निकालकर इधर-उधर की बातें करके अपना काम निकालना चाहते हैं । मजहब जो है मैंने अर्ज किया सिर्फ वह है जो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जोड़ने के लिए गुरुद्वारे या अपने तौर पर इनफरादी तौर पर जबानी तौर पर जाकर कोई बहम करते हैं और उनको कहते हैं कि यह धर्म है । सियासत तो बाहर जाकर होनी चाहिए । सियासत मंदिर और गुरुद्वारे से क्यों चले? बाहर बहुत जगहें हैं, लोगों के अपने स्थान हैं पार्टियों के अपने दफ्तर हैं, वहां जाकर चलाना है तो चलायें । मंदिर और गुरुद्वारे सियासत के लिए नहीं हैं । अगर है तो वह पोलिटीकल पार्टी का स्थान है । इसलिए इसको आपको डिफैंशिएट करना होगा । जो रिपोर्ट है मुझे खुशी है कि उसके काफी अनासिर यहां मौजूद हैं इस बात में कि हम धर्म और सियासत को अलाहिदा कर रहे हैं और उसके लिए तजवीजें भी हमने दी थीं । मैं यह कहता हूं कि यह किसने कहा है कि धार्मिक स्थानों में तमाम के तमाम हथियार रखें जाएं और उग्रवादी जाएं लोगों को मारने के लिए और अपनी तजवीज बनाएं ? यह कहां लिखा है? कोई भी आदमी जो धर्म को ज्यादा जानता है वह मुझे जरा बता दे कि धर्म में यह कहां लिखा है कि फलां को मारना है या शरीयत में यह कहां लिखा है कि फलां को मारना है? यहां किस धर्म में लिखा है कि मारना है? वह तो है लव और अफैक्शन देनी है और यूनिटी लानी है ।

हिन्दुस्तान को सब से ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है । पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक थियोक्रिएटिक स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी मरता है, जब कोई यह बड़ो-बड़ी ताकत वाले मरते हैं तो अपना रास्ता बदलते है और उसके लिए आसान रास्ता यही है कि धर्म के नाम पर अपनी सल्तनत कायम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें और उसके लिए वह कोशिश कर रहा है । उसी कोशिश में हिन्दुस्तान को अस्थिर करने के लिये हथियारों आदि का बंदोबस्त करा रहा है और सारी चीज वह धर्म के नाम पर करवा रहा है । अब धर्म वालों को यह समझ नहीं है । मैं समझता हूं कि धर्म के सब से बड़े दुश्मन वह लोग होते हैं जो धर्म का गलत प्रचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इस बातकी पूरे जोर से तस्दीक करनी चाहिए जो कि यहां पर बिल आया है उसकी और इससे भी बढ़ कर इसमें यदि कोई लूपहोल हो तो उसको भी बंद करें और इससे भी ज्यादा सख्ती से अमल करने की कोशिश करें । लेकिन यहां हमारे एक दोस्त ने कहा है कि सख्ती से अमल करते वक्त कहीं उसका गलत इस्तेमाल न हो तो मैं समझता हूं कि गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसे हर कोई कहेगा लेकिन इसका इस्तेमाल होना चाहिए ठीक तरह से क्योंकि यह एक वक्त आ गया है कि यहां धर्म के नाम पर इतने फसादात हो रहे हैं । बेशक वह यू०पी० में हों या कहीं गुजरात में हों या किसी और जगह पर हों ये फसादात इसलिए है कि लोग अपनी ताकत हासिल करने के लिए बहुत छोटा, सीधा और आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं । यह इस आसान रास्ते को हटाने के लिए निहायत जरूरी है और हमें अपना इलैक्शन जो है इसमें कुछ न कुछ तजवीज़ें लानी चाहिएं । उसमें धर्म का नाम हटना चाहिए, ह्यूमैनिटी सब से सुप्रीम होनी चाहिए । दुनिया में हम मानवता के लिए खड़े हैं । दुनिया में अगर जंग नहीं चाहते हैं, अमन और शांति चाहते है तो हमारे मुल्क में हम शांति और एकता और मानवता को आगे ले जा कर बढ़ाएं और यह तभी हो सकता है जबकि हिन्दुस्तान एक हो । एक हिन्दुस्तान तभी हो सकता हैं अगर इसको अलग करके, मजहब और पोलिटिक्स को अलाहिदा करके चलें । इन अलफाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the main idea behind the Bill. But it does not mean it should have been brought forward in the form of an Ordinance first because things must be done in a good way and not in such a bad way. The Ordinance conception is very bad. It does not help our democratic traditions particularly, in this context, when, for a pretty long time, this thing has been going on and the Government was fully aware of it. I do not understand why the Government did not bring this forward as a Bill in the previous Session of the Rajya Sabha. But immediately after the end of the Session, within two weeks, this Ordinance was promulgated. Whatever may be the reasons given by the hon. Minister, they are not at all convincing why they brought this forward as an Ordinance first.

The second point is, I do not have any illusion that by brinking forward this Bill, actually, in practice, it is going to bring about a radical change in the situation. This is because these things have been in practice for a long time. Yet they were not curbed. Why? It is there in our practice itself. That is why I say I do not have any illusion. But the idea behind it is welcome. The idea that reilgion should not be mixed with poitics nor politics should be mixed with religion snould be conveyed to our people and our people have to be educated on that basis. That is why we have chosen secularism as our main theme in politics. That is exactly why I say that this Bill is not going to bring about a radical change.

Now, you have brought forward this Bill, particularly with Punjab in view, stating that religious institutions in Punjab are being misused are being used for politics for political purposes, for disruptive activities or armed actions etc. But what was the Government doing? If it could be stated so, perhaps, Mr. Barnala was the stoutest champion of secularism when he was fighting against the religious heads interfering in politics. Actually, he was excommunicated. He should have been given the credit on that account. His regime should have been allowed to continue to see that secularism was upheld in Punjab and the Khalistanis were isolated. That was not the thing that was done by the Government of India. You immediately saw to it that his Ministry was dismissed. This was the reward that was given to him. Now you speak of so many things. Why did you do that? Were you not responsible for that? when the idea of separating religion from politics was advocated by no less a person than Mr. Barnala, the Chief Minister of Punjab then, when the country was very much encouraged by tnat spirit, why did you dismiss his Government? What have you brought Punjab to now? Punjab is in doldrums. It is in a very bad situation. Perhaps, the worst that can be imagined of. Therefore, these things are due to the acts done by the Government of India. Of course, in regard to Punjab, it is true that religious institutions were misued and we should see to it that such a development is prevented. That is why I welcome this idea. At the same time, what is happening throughout the country? In Punjab, religious institutions are misused for political purposes. Elsewhere in the country, politicians are indulging in the misuse of relgion and religious institutions. This is going on throughout the country. Our national movement was a point of inspiration for so many youngsters to unite together, to whatever religion they belonged, to fight the foreign rulers. That was the spirit. No doubt the opportunist elements tired to make the best use of religion even then, but they did not cut much ice with the people because the common spirit was there to advance towards freedom. After attaining freedom what are we doing? We are more

concerned with getting into power and hanging on to it, at whatever cost it may be. That is why today in India we see worse things happening than in the British days. Disintegration is aimed at, separation is spoken of, every day disruptive activities are going on, based on religon, based on caste, based on community etc. That is why the Congress(I) Government should really explain to the nation why after forty years of Independence all such developments have come to take place. As far as I could study, secularism is our main theme. We are not against any religion. There is no doubt about it. If I am supporting this Bill, it does not mean that I stand for curtailing anybodys freedom to pray, or to go on believing the religion he believes in. That freedom should be there. It should never be curtailed. But I do not think this Bill particularly curtails anybody's freedom like that. That is not the objective of this Bill. It does not curtail the freedom of any religion, or any individual in believing in a certain religion or god. It does not interfere with religions. But at the same time, it should also be noted that religion, according to me, is an opium for the people. It does not create consciousness among them. On the other hand, it curbs the consciousness that it there in the human beings. So many people may not agree with that. I am quite aware of that. But at the same time, we have chosen our path to be secular. When secularism is to be followed, why should we talk of so many religions and gods and bring all these religions into conflict and create communal disturbances or casteist disturbances?

Sir, who is doing it? The highest dignitaries of our country are going on official tours and visiting temples, mosques or churches, thereby creating an impression day in and day out that they are devotees. Religious feelings are roused and affection is sought to be drawn of the people of that particular religion or sect. Why are all these things attempted? Prime Minister and so many other dignitaries—I need not repeat—go on tours. Why do they go to temples and pray to a particular god and adopt all such rituals there? This is just to create an impression among such religious-minded people that they are for religion, they are for god, they are for their religion, they are for their god and so they must appreciate them and all that. Is it secularism? I do not think it is secularism. On the other hand, it is one way of inculcating religious beliefs or, sometimes, even superstitions. Like that it is going on. That is why I say that high dignitaries should see to it that they do not do these things. Their personal beliefs are there. They can go on private tours, pray to any god, visit any temple, mosque or church. It does not matter. But, at the same time, why do they do it? And why is it shown on TV with so much of bombast? It is in order to propagate that. When religious functions take place, it should be the concern of the religious-minded people to see that those functions are organized in a

successful way, but why do the railways and the bus companies do so much of propaganda on those occasions? Why do they create the impression through radio and television that it is going to happen in a big way and so everybody should go and see? Is it not religious propaganda? So, it is not secularism. I stand for secularism. Secularism should be nurtured and cultivated. Instead of doing that, the highset dignitaries of our State go on preaching this or that and become instruments of propagating religion. Then how can we curtail superstitions, bickerings and all that among the religious-minded people?

Sir, while supporting this Bill I do want to say that if at all they are genuine in their feelings, if at all they are serious about averting such dangers happening in our country, then they should see to it that television and radio are not misused for religious propaganda and also see that high dignitaries do not go about masquerading themselves as big religious-minded people and all that. Let them do it privately—I have no objection. That is why, Sir, I support this idea of the Bill. In order to see that this idea is conveyed to our people, canvassing for the purpose of this Bill would be helpful—not that without a political solution to the problem of Punjab, this Bill or any Bill or any Act or arms can suppress the Khalistanis there. They must be isolated from the people. People have to be mobilized. People can be mobilized in Punjab only by a political solution, by offering certain terms which were agreed upon even long before in the Longowal-Rajiv Accord. Rajiv is a partner of that Accord. Why does not he see to it that that Accord is implemented and people of Punjab are convinced that reliious amity itself can be brought about by this? Instead of that, all sorts of opportunistic games are being played and the country is brought to such a miserable situation. Thank you.

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी (दिल्ली) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । मजहब और सियासत को एक साथ लेकर चलने वालों ने 1947 में मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम किया और 1948 में महात्मा गांधी की कीमती जान को नुकसान पहुंचाया और 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी का भयानक कत्ल हुआ लेकिन ऐसे नाकाबिले तलाफी नुकसान के बावजूद मजहब और सियासत को साथ-साथ चलाने की नापसंदीदा रस्म आज भी अपनी ऊरूज पर है जिससे देश के इत्तिहाद कौमी एकता को गंभीर खतरा लाहक है ।

यह जो बिल पेश किया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं । इसका निहायत गहराई से जायजा लेने के बाद पता चलता है कि पंजाब के 6 बरस के तल्ख वाक्यात, नापसंदीदा सरगरमियों और गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की कारगुजारियों को ध्यान में रखते हुए यह बिल तैयार किया गया है । लेकिन चूंकि यह बिल दूसरे मजहबों के ऊपर भी लागू होगा, इस वजह से मैं चन्द बातें मिनिस्टर साहब की जहन में लाना चाहता हूं ।

पहली चीज तो यह है कि दिल्ली में मिसाल के तौर पर बड़ी मसजिदों का इंतजाम दिल्ली वक्फ बोर्ड करता है और दिल्ली वक्फ बोर्ड का दफ्तर दरियागंज में है और उसके चेयरमैन और मैंबरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं । अब मान लीजिए महरौली की मसजिद में कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसकी नीयत का क्या पता लगता है इमाम को कि वह कोई हथियार लेकर आया है या किस वजह से मसजिद के अंदर आया है क्योंकि इमाम साहब के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मुलजिम और मुजरिम की शिनाख्त कर सके । एक बात जो मैं खास तौर पर वाजह करना चाहता हूं वह क्लाज 2 सब-क्लाज डी की तरफ मैं हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जहां कि

सियासी सरगर्मियों का जिक्र है और सियासी जमात क्या है उसकी वजाहत की गई है । ताहम व जमातें या वे पार्टियों जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन करता धरता इबादतगाहों में भड़काने वाली तकरीरें करते हैं और वे कौमी एकता और देश की एकता के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ये मजहब के ठेकेदार कभी खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं और कभी सियासी जमात के हमनवां भी बन जाते हैं । मिनिस्टर साहब और तमाम जिम्मेदार लोग जानते हैं कि सियासी जमात के अलावा भी ऐसी बहुत सी जमातें हैं जो मजहब का नाम लेकर मुल्क के इत्तिहाद को पारा करने के लिए इबादत-गाहों का इस्तेमाल करती हैं, मुल्क के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा करती है जिसकी वजह से हमारे अमन, चैन और शान्ति को बहुत बड़ा धक्का लगता है ।

चेयरमैन साहब, बिल के क्लाज 3 बी जो गोल्डन टैंपल के अफसोसनाक वाकयात का गलबा है, इसे सभी इबादतगाहों पर लागू करने से थोड़ी सी कुछ मुश्किलात लोगों के मन में पैदा हो रही हैं उसकी मैं वजाहत करूंगा ।

तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि मीनार, गुम्बद, दीवार, तहखाना किसी भी मसजिद या इबादतगाह की लाजिमी जरूरतें हैं । मीनार किसी इबादतगाह की न सिर्फ खूबसूरती है, बल्कि मीनार के अंदाज से शिनाख्त होती है कि अकीकतमंद को दूर से ही पता लग जाता है कि यह फलां मजहब की चीज है, यह मंदिर है, यह गुरुद्वारा है यह मसजिद है । इस सिलसिले में जो इस क्लाज में बात आई है यह वजाहत कर दी जाए कि किस तरह की तामीरात जायज है और किस तरह की तामीरात जायज नहीं है ।

अभी आपके सामने दरबारा सिंह जी ने मजहब के बारे में बताते हुए कहा कि हर मजहब प्यार और मुहब्बत की भावना सिखाता है, पैदा करता है । किसी मजहब में दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करने या गलतफहमी और बदगुमानी पैदा करने वाली बात नहीं होती । मैं समझता हूं कि मुल्क की आजादी के लिए अपने अपने मजहब की अच्छी-अच्छी बातों का प्रचार न करते तो जो कौमी यकजहती का नजारा मुल्क में देखने को मिला और जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को यहां से भगाया, वह नहीं होता । उस समय मौलवियों ने, पंडितों ने, ग्रंथियों ने लड़ाई के आंदोलन के अंदर प्यार मुहब्बत की भावना को बढ़ाया । लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि आजादी के बाद चन्द ठेकेदारों ने हमारे मजहबों को बदनाम किया और अपने जाती अगराज के लिए इस्तेमाल किया और आज यह नौबत आई है कि हमें यह बिल लाने की जरूरत पड़ी । कल हमें इस तरह का कानून भी बनाना होगा उन फिरकापरस्त अखबारों के लिए जो चाहे हिन्दी के हों अंग्रजी के हों या उर्दू के हों, जो किसी मजहब के खिलाफ आरोप लगाते हैं, उनकी रोकथाम अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलें होंगी । एक तरफ हम यह कानून बनाकर पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर व चिनगारियां जो अखबारों में शाया होती हैं, उनके खिलाफ तवज्जह देने की जरूरत है ताकि मुल्क से फिरकापरस्ती को जड़ से निकाला जाए । 41 साल में आज इन फिरकापरस्तों की वजह से भाई-भाई में नफरत के जज्बात पैदा हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर, हमारे बहुत से सूबों में विकास के काम रुके हैं । आखिर में जो दो-तीन बातें कही हैं इस बिल में उनका खैरमकद्दम करता हूं और दर्खास्त करता हूं कि इसकी कमजोरियों को, कमियों को दूर किया जाए । देश की एकता और अखण्डता से खिलवाड़ करने वालों कय इस बात की कतई इजाजत न दी जाए कि वे मजहबी इबादतगाहों को देश की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुचाने के लिए इस्तेमाल करें । मैं तो यह चाहूंगा कि इससे की ज्यादा सख्त कानून बनाने की जरूरत पड़े तो हमें गरेज नहीं करना चाहिए इन अलफाज के साथ में इस बिल का खैर मुकद्दम करता हूं ।

श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदुस्तान एक सेक्यूलर मुल्क है। बरसों-बरस की तरक्की इस बात की गवाही देती है कि हिंदुस्तान सेक्यूलर मुल्क है और कई मुजाहिब के लोग इस मुल्क में रहते है, बसते हैं और भाई-भाई की तरह जिन्दगी गुजारते हैं। इस मुल्क में हिन्दू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, ईसाई भी बसते हैं, पारसी भी बसते हैं यानी तरह-तरह के मजहब के मानने वाले यहां बसते हैं। चुनांचे अगर हम इस मुल्क के पीछे की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम को यह मालूम होगा कि अंग्रेजों के आने से यानी 1857 ईस्वी से पहले इस मुल्क में पूरी तरह से तीर-ओ-तरकश की तरह भाई-भाई की तरह रहते थे। हमने यह देखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों में और सिखों में एक मोहब्बत थी, प्रेम था। कभी किसी किस्म का कम्युनल रायट या फिरकावाराना वाग्दात नहीं सुनी। जैसे ही यहां अंग्रेज आए उसके बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया। इसी वजह से कि वह डिवाइड एंड रूल की पालिसी पर करबंद रहे। जितने साल भी उन्होंने हिन्दुस्तान पर हुकूमत की उतनी देर तक ऐसा होता रहा। चुनांचे यह फिरकावारियत के जो बीज बोए इसके जिम्मेदार अंग्रेज रहे। मगर इंताही अफसोस मुझे यह कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क को 40-41 साल हो चुके हैं आजाद हुए पर अभी भी वह फिरकावारियत का बीज खत्म नहीं हुआ। अभी भी जारी है और पूरी खुब्बत के साथ जारी है। हमको यह देखना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन हैं? ख्वां कोई भी हो सकता है। मगर बहुत तक मैं यह कहूंगा कि काफी अरसे तक जो इस मुल्क में काबिज रही वही पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी को उसको कबूल करना होगा। इस वजह से जितने वाक्यात हमारे सामने आते हैं उनसे हम को यह जाहिर होता है वकतन-फवकतन इस पार्टी ने इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया है। पंजाब की बात लीजिए। भिंडरावाला को किसने बढ़ावा दिया? किसने भिंडरावाला को एन्करेज किया?

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : बता दीजिए?

श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान : अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। मैं समझ रहा था यकीनन आपको पता होगा। पूरा हाउस समझ जायेगा किसने बढ़ावा दिया है।

श्री आनन्द शर्मा : आपके जो दिल में है हम जानते हैं।

श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान : जो पार्टी इतने बरसों तक रही है वही इसके लिए जिम्मेदार है। मरकजी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हालात काबू से बाहर हो गए तो भिंडरावाला को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने मुखतलिफ तरीके इस्तेमाल किए और इसी कारण पंजाब में इस किस्म के हालात पैदा हो गए। मजहबी नफरत पैदा हो गयी। भाई चारा खत्म होकर एक मजहबी नफरत पैदा हो गयी जो निहायत ही अफसोस की बात है। वह यहां पर नहीं होनी चाहिए अब यह जो बिल लाया गया है इसके बारे में कहा गया है कि यह वक्त का तकाजा है, हालात की वजह से इस बिल की जरूरत है। इसी वजह से मैं और मेरी पार्टी इसकी ताईद करते हैं। मगर इस बिल की ताईद करने का मकसद यह नहीं है कि मुल्क से मजहब की आजादी खत्म कर दी जाए। बात ऐसी नहीं हैं। मजहब की आजादी अहम चीज है और मजहब, रीलीजन, सोसाइटी और पोलिटिक्स, ये अपनी-अपनी जगह पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं और इन सब में एक दूसरे के साथ लिंक है। इन बातों को एक दूसरे से अलाहिदा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इस

†[شری شمیم احمد صدیقی (دلی):

2 وائس چیرمین صاحب - میں اس بل کا سواگت کرتا ہوں - مذہب اور سیاست کو ایک ساتھ ایکو چلنے والوں نے ۱۹۴۷ میں ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ۱۹۴۸ میں مہاتما گاندھی کی قیمتی جان کو نقصان پہنچایا - اور ۱۹۸۴ میں شریمتی اندرا گاندھی کا بھیانک قتل ہوا- لیکن ایسے ناقابل تلافی نقصان کے باوجود مذہب اور سیاست کو ساتھ ساتھ چلانے کی ناپسندیدہ رسم آج بھی اپنے عروج پر ہے- جس سے دیش کے اتحاد قومی ایکتا کو گمبھیر خطرہ لاحق ہے -

یہ بل جو پیش کیا گیا ہے - میں اسکا سواگت کرتا ہوں اسکا نہایت گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے ۲ برس کے تلخ واقعات - ناپسندیدہ سرگرمیوں اور گوردوارہ پربندھک کمیٹی کی کارگزاریوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بل تیار کیا گیا ہے - لیکن چونکہ یہ بل دوسرے مذہبوں کے اوپر بھی لاگو ہوگا - اس وجہ سے میں چند باتیں منسٹر صاحب کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں -

پہلی چیز تو یہ ہے کہ دلی میں مثال کے طور پر بڑی مجلسوں کا انتظام وقف بورڈ کرتا ہے اور دلی وقف بورڈ کا دفتر دریا گنج میں ہے- اور اسکے چیرمین اور ممبران شہر کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں - اب مان لیجئے مہرولی کی مسجد میں کوئی ویکتی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے تو اسکی نیت کا کیا پتہ لگتا ہے امام کو کہ وہ کوئی ہتھیار لیکر آیا ہے یا کس وجہ سے مسجد میں آیا ہے - کیونکہ امام صاحب کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جو ملزم اور مجرم کی شناخت کر سکے -

ایک بات جو میں خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں- وہ کلاز ۲ کی سب کلاز اور ڈی کلاز کی چاہتا ہوں - طرف میں ہاؤس کی توجہ دلانا جہاں سیاسی سرگرمیوں کا ذکر ہے - اور سیاسی جماعت کہا ہے - اسکی وضاحت کی گئی ہے - تاہم وہ جماعتیں یا پارٹیاں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہیں - لیکن انکے کرتا دھرتا عبادت گاہوں میں بھڑکانے والی تقریریں کرتے ہیں اور وہ قومی ایکتا اور دیش کی ایکتا کیلئے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں - یہ مذہب کے ٹھیکےدار کبھی خود بھی الیکشن لڑتے ہیں اور کبھی کسی سیاسی جماعت کے ہمنوا بھی بن جاتے ہیں - منسٹر صاحب اور تمام ذمہدار لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے علاوہ بھی ایسی بہت سی جماعتیں ہیں

† [] Transliteration in Arabic Script.

جو مذهب کا نام لیکر ملک کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کیلئے عبادت گاهوں کا استعمال کرتی هیں- ملک کیلئے اتنا بڑا خطرہ پیدا کرتی هیں جسکی وجہ سے همارے اس چمن اور شانتی کو بہت بڑا دھکا لگتا هے -

چیرمین صاحب - بل کے کلاز ۳ بی جو گولڈن ٹیمپل کے افسوسناک واقعات کا غلبہ هے اسے سبھی عبادت گاهوں پر لاگو کرنے سے تھوڑی سی کچھ مشکلات لوگوں کے دل میں پیدا هو رهی هیں - اسکی میں وضاحت کرونگا -

دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاهتا هوں وہ یہ هے کہ مینار گمبد - دیوار - تہخانہ کی بھی مسجد یا عبادت گاہ کی لازمی ضرورتیں هیں - مینار کسی عبادت گاہ کی نہ صرف خوبصورتی هے بلکہ مینار کے انداز سے شناخت هوتی هے - عقیدت مند کو دور سے هی پتہ لگ جاتا هے کہ یہ فلاں مذهب کی عبادت گاہ هے - یہ مندر یہ هے گوردوارہ هے - یہ مسجد هے - اس سلسلے میں جو اس کلاز میں بات آئی هے - یہ وضاحت کر دی جائے کہ کس طرح کی تعمیرات جائز هیں اور کس طرح کی تعمیرات جائز نہیں هیں -

ابھی آپ کے سامنے دربارہ سنگھ جی نے مذهب کے بارے میں بتاتے هوئے کہا کہ هر مذهب پیار و محبت کی بھاونا سکھاتا هے - پیدا کرتا هے - کسی مذهب میں دوسرے مذهب کے لوگوں سے نفرت کرنے یا غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے والی بات نہیں هوتی - میں سمجھتا هوں کہ ملک کی آزادی کیلئے اپنے اپنے مذهب کی اچھی اچھی باتوں کا پرچار نہ کرتے تو جو قومی یکجہتی کا نظارہ ملک میں دیکھنے کو ملا اور جس نے انگریزی سامراج کو یہاں سے بھگایا - وہ نہیں هوتا - اس وقت مولویوں نے - پنڈتوں نے - گرنتھیوں نے لڑائی کے آندولن کے اندر پیار محبت کی بھاونا کو بڑھایا- لیکن هماری مشکل یہ هے کہ آزادی کے بعد چند ٹھیکیداروں نے همارے مذهبوں کو بدنام کیا - اور اپنے ذاتی اغراض کیلئے استعمال کیا اور آج یہ نوبت آئی هے کہ همیں یہ بل لانے کی ضرورت پڑی - کل همیں اس طرح کا قانون بھی بنانا هوگا - ان فرقہ پرست اخباروں کیلئے جو چاهے هندی کے هوں - انگریزی کے هوں یا اردو کے هوں - جو کسی مذهب کے خلاف آروپ لگاتے هیں انکی روک تھام اگر هم نہیں کرینگے تو همارے لئے مشکلیں هونگی - ایک طرف هم یہ قانون بناکر

پابندیاں لگا سکتے ہیں - لیکن دوسری اور وہ چنگاریاں جو اخباروں میں شائع ہوتی ہیں - انکے خلاف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ملک سے فرقہ پرستی کو جڑ سے نکالا جائے- ۴۱ سال میں آج ان فرقہ پرستوں کی وجہ سے بھائی بھائی میں نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں - ہمارے دیش کے اندر ہمارے بہت سے صوبوں میں وکس کے کام رکے ہیں - آخر میں جو دو تین باتیں کہی ہیں اس بل میں انکا خیرمقدم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اسکی کمزوریوں کو کیونکر دور کیا جائے - دیش کی ایکتا اکھنڈتا سے کھلواڑ کرنے والوں کو اس بات کی قطعی اجازت نہ دی جائے کہ وہ مذہبی عبادت گاہوں کو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو نقصان پہنچانے کیلئے استعمال کریں- میں تو یہ چاہونگا کہ اس سے بھی سخت قانون بنانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں گریز نہیں کرنا چاہئیے- ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا خیر مقدم کرتا ہوں -]

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान: (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइसचेयरमैन साहब, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं हिन्दुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। बरसों-बरस की तरक्की इस बात की गवाही देती है कि हिन्दुस्तान सेक्युलर मुल्क है और कई मजाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं और भाई-भाई की तरह जिन्दगी गुजारते हैं। इस मुल्क में हिन्दू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, ईसाई भी बसते हैं, पारसी भी बसते हैं यानी तरह-तरह के मजहब के मानने वाले यहां बसते हैं। चुनान्चे अगर हम इस मुल्क के पीछे की तरफ नजर दौड़ायें तो हम को यह मालूम होगा कि अंग्रेजों के आने से यानी 1857 ईस्वी से पहले इस मुल्क में पूरी तरह से शीरो-शक्कर की तरह भाई-भाई की तरह रहते थे। हमने यह देखा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में और सिखों में एक मोहब्बत थी, प्रेम था। कभी किसी किस्म का कम्यूनल रायट या फिरकावाराना वारदात नहीं सुनी। जैसे ही यहां अंग्रेज आए, उसके बाद से यह सिलसिला शुरु हो गया। इसी वजह से कि वह डिवाइड एंड रूल की पालिसी पर करबंद रहे। जितने साल भी उन्होंने हिन्दुस्तान पर हुकूमत की उतनी देर तक ऐसा होता रहा। चुनाचे यह फिरकावारियत के जो बीज बोये इसके जिम्मेदार अंग्रेज रहे। मगर इंताही अफसोस मुझे यह कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क को 40–41 साल हो चुके हैं आजाद हुए, पर अभी भी वह फिरकावारियत का बीज खत्म नहीं हुआ। अभी भी जारी है और पूरी कुव्वत के साथ जारी है। हम को यह देखना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन हैं? खवां कोई भी हो सकता है। मगर बहुत हद तक मैं यह कहूंगा कि काफी अरसे तक जो इस मुल्क में काबिज रही वही पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और इस जिम्मेवारी को उसको कबूल करना होगा। इस वजह से जितने वाक्यात हमारे सामने आते हैं उनसे हम को यह जाहिर होता है वकतन-फवकतन इस पार्टी ने इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया है। पंजाब की बात लीजिए। भिंडरावाला को किस किसने

बढ़ावा दिया ? किसने भिंडरावाला को एन्करेज किया ?

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : बता दीजिए ?

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। मैं समझ रहा था यकीनन आपको पता होगा । पूरा हाउस समझ जायेगा किसने बढ़ावा दिया है ।

श्री आनन्द शर्मा : आपके जो दिल में है हम जानते हैं ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : जो पार्टी इतने बरसों तक रही है वही इसके लिए जिम्मेदार है । मरकजी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है । हालात काबू से बाहर हो गये तो भिंडरावाला को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने मुखतलिफ तरीके इस्तेमाल किये और इसी कारण पंजाब में इस किस्म के हालात पैदा हो गये । मजहबी नफरत पैदा हो गयी । भाई चारा खत्म होकर एक मजहबी नफरत पैदा हो गयी जो निहायत ही अफसोस की बात है । वह यहां पर नहीं होनी चाहिए अब यह जो बिल लाया गया है इसके बारे में कहा गया है कि यह वक्त का तकाजा है, हालात की वजह से इस बिल की जरुरत है । इसी वजह से मैं और मेरी पार्टी इसकी ताईद करते हैं । मगर इस बिल की ताईद करने का मकसद यह नहीं है कि मल्क से मजहब की आजादी खत्म कर दी जाय । बात ऐसी नहीं है । मजहब की आजादी अहम चीज है और मजहब, रीलीजन, सोसाइटी और पोलिटिक्स, ये अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं और इन सब में एक दूसरे के साथ लिंक है । इन बातों को एक दूसरे से अलाहिदा नहीं किया जा सकता है । लिहाजा इस मकसूस हालात में इस बिल की ताईद की जा रही है । मगर जब इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो उस वक्त हमको खास ख्याल करना पड़ेगा और इतिहाई एतिहात के साथ इस बिल का इम्प्लीमेंटशन करना पड़ेगा । इस बात का भी ख्याल किया जाय कि जो एक्ट बनाया गया है उसका बर्सरे इकदार पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे और खुद इसका फायदा न उठाये । यह बहुत ही अहम बात है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा । यह बिल जब आज नाफिज़ किया जा रहा है तो उसके लिए खुशगवारी का माहौल पूरे हिन्दुस्तान में पैदा किया जाना चाहिए ताकि तमाम लोग आपस में भाई भाई की तरह एक दूसरे को मजबूत कर सकें । यकीन मानिये अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बिल के नाफिज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी । यह बिल बड़ा अहम और नाजुक है । इसलिए जरुरत इस बात की थी कि तमाम सियासी जमातों से इस बारे में मशविरा करना चाहिए था । निहायत अफसोस की बात है कि इतना अहम और नाजुक बिल लाया गया है, मगर सियासी जमातों से मशविरा नहीं किया गया है । आर्डिनेंस 26 मई को लाया गया । उसके 10-12 रोज पहले तक यानी 13 मई तक पार्लियामेंट सेशन में थी । क्या पार्लियामेंट के सेशन में यह बिल नहीं लाया जा सकता था ? 10-12 दिन में ऐसी क्या हालत पैदा हो गई कि सरकार को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा । मिनिस्टर साहब ने और श्री दरबारा सिंह जी ने कहा कि पंजाब के हालत को पेश नजर रख कर यह बिल लाया गया है, लेकिन पंजाब की हालत तो पिछले दो साल से इस तरह की चल रही है, वह तो दो साल से बर्निंग प्रोबलम बना हुआ है । जाहिर है कि इस बिल को काफी सोच-समझकर सभी सियासी जमातों से सलाह-मशविरा करके लाया जाना चाहिए, था ।

मिनिस्टर साहब ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि हुकूमत को लेजिस्लेशन का हक हासिल है । जब पार्लियामेंट सेशन में न हो तो उनको इसका हक है । मगर हमें इन्तहाई जुडिशियस फैसला करना पड़ेगा कि क्या इतने अहम मसले पर इस तरह से आर्डिनेंस जारी करना ठीक है ? जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसके पेशेनजर में हम देखते है तो पिछले दो सालों से हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसकी जरूरत महसूस कर रही थीं तो तमाम सियासी जमातों से इस बारे में मशविरा किया जाना चाहिए था ।

इस बिल के बारे में एक बात मैं यह कहना चाहता हू कि इसमें मैनेजर की बात कही गई है जहां पर सेक्शन 7 है और जो पनिशमेंट का सेक्शन है, उसमें मैनेजर को जिम्मेदारी दी गई है । मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि मरकजी मुकाम में जो जलसे होते हैं, जो भी मीटिंग होती है, सिर्फ मैनेजर उसका जिम्मेदार नहीं होता इसके जिम्मेदार और भी कई लोग होते हैं । बाज दफा यह देखा जाता है कि बेचारा मैनेजर, जो एक मजबूर आदमी होता है, जिसकी वहां पर चलती ही नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ भी वहां पर इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं । ऐसा होने पर भी उस बेचारे को सजा मिलेगी । इससे जो इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले जो लोग हैं वे बिल्कुल फ्री निकल जायेंगे । इसलिये इस बात का मैं मिनिस्टर साहब से क्लेरीफिकेशन चाहूंगा कि उनका इस ताल्लुक से क्या ख्याल है ।

मिस यूज आफ फंड के बारे में यह कहा गया है कि उसके लिये भी सिर्फ मैनेजर जिम्मेदार होगा । इसका जिम्मेदार भी मैनेजर को ठहरा दिया गया है । मेरी यह दरख्वास्त है कि मिस यूज आफ फंड के लिये फंड जो जमा कराता है, जितने भी यहां पर टेम्पल हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, देखा यह गया है कि इसकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है । उस मैनेजिंग कमेटी का एक प्रेसीडेन्ट होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक ट्रेजरार होता है । जहां तक फंड का सवाल है सिर्फ ट्रेजरार उस पर काबू रखता है । तो जब फंड पर ट्रेजरार काबू रखता है तो फिर इसके लिये मैनेजर को सजा देना यह समझ में आने वाली बात नहीं मालूम होती । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब अपना क्लेरीफिकेशन दें ।

जैसा कि मैंने अभी कहा निफाज मसला अहम है । अगर इसको अमल में लाना चाहते है तो इसके निफाज में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि इस किस्म के हालात पैदा न हों जिसकी वजह से ख्वामख्वाह अवाम में इम्लीमेंटेशन के वक्त झगड़ा खड़ा हो जाय और उस वक्त कम्युनल राइट्स पैदा हों । उम्मीद है कि इस बात का खास ख्याल रखा जायेगा । इतना कहते हुए मुझे जो वक्त दिया गया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

†[شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - جیسا آپ اچھی طرح سے جانتے ھیں کہ ھندوستان ایک سیکولر ملک ھے - برسوں کی ترقی اس بات کی گواھی دیتی ھے کہ ھندوستان سیکولو ملک ھے اور کئی مذاھب کے لوگ اس ملک میں رھتے ھیں - بستے ھیں اور بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارتے ھیں - اس ملک میں ھندو بھی بستے ھیں - مسلمان بھی بستے ھیں - سکھ بھی بستے ھیں - عیسائی بھی بستے ھیں - پارسی

† [] Transliteration in Arabic Script.

بھی بستے ہیں - یعنی طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے یہاں بستے ہیں - چنانچہ اگر ہم اس ملک کے پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ انگریزوں کے آنے سے یعنی ۱۸۵۷ عیسوی سے پہلے ہم اس ملک میں پوری طرح سے شیر و شکر کی طرح بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے - ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں میں ایک محبت تھی - پریم تھا - کبھی کسی قسم کا کمیونل واردات یا فرقہ وارانہ واردات نہیں سنی - جیسے ہی یہاں انگریز آئے اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا - اس وجہ سے کہ یہ ڈوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کاربند رہے - جتنے سال بھی انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی - اتنی دیر تک ایسا ہوتا رہا - چنانچہ یہ فرقہ پرستی کے جو بیج بوئے اسکے ذمہ وار انگریز تھے - مگر انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کو چالیس اکتالیس سال ہو چکے ہیں آزاد ہوئے پر ابھی بھی وہ فرقہ واریت کا بیج ختم نہیں ہوا - ابھی بھی جاری ہے - اور پوری قوت کے ساتھ جاری ہے - ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسکے لئے ذمہ دار کون ہے - خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے - مگر بہت حد تک میں یہ کہونگا کہ کافی عرصہ تک جو اس ملک میں قابض رہے وہی پارٹی اس کے لئے ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کو اس کو قبول کرنا ہوگا - اس وقت سے جتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں ان سے ہم کو یہ ظاہر ہوتا ہے - وقتاً فوقتاً اس پارٹی نے اس طرح کی باتوں کو بڑھاوا دیا ہے - پنجاب کی بات لیجئے - بھنڈراں والا کو کس نے بڑھاوا دیا - کس نے بھنڈراں والا کو انٹروڈیوس کیا -

شری آنند شرما (ہماچل پردیش): بتا دیجئے -

شری محمد خلیل الرحمان : اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دونگا - میں سمجھ رہا تھا یقیناً آپ کو پتہ ہوگا - پورا ہاوس سمجھ جائے گا کس نے بڑھاوا دیا ہے -

شری آنند شرما : آپ کے جو دل میں ہے ہم جانتے ہیں -

شری محمد خلیل الرحمان : جو پارٹی اتنے برسوں تک رہی ہے وہی اسکے لئے ذمہ دار ہے - مرکزی حکومت اسکے لئے ذمہ دار ہے - حالات قابو سے باہر ہو گئے تو بھنڈراں والا کو اریسٹ کرنے کیلئے انہوں نے مختلف طریقے استعمال کئے اور اس کارن پنجاب میں اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے - مذہبی نفرت پیدا ہو گئی - جو نہایت ہی افسوس کی بات ہے - وہ یہاں پر نہیں ہونی چاہئے - اب یہ جو بل لایا گیا ہے اسکے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وقت کا تقاضہ ہے - حالات کی وجہ سے اس بل کی ضرورت ہے - اس وجہ سے میں اور

اس بل کے نافذ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی - کوئی مصیبت نہیں ہوگی- یہ بل بڑا اہم اور نازک بل لایا گیا ہے - مگر سیاسی جماعتوں سے مشورہ نہیں کیا گیا ہے- آرڈیننس ۲۶ مئی کو لایا گیا تھا - اس کے دس بارہ دن پہلے تک یعنی ۱۳ مئی تک پارلیمنٹ سیشن میں تھی کیا پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ بل نہیں لایا جا سکتا تھا دس بارہ دن میں ایسی کیا حالت پیدا ہو گئی کہ سرکار کو آرڈیننس جاری کرنا پڑا - منسٹر صاحب نے اور شری دربارا سنگھ جی نے کہا کہ پنجاب کے حالات کو پیش نظر رکھکر یہ بل لایا گیا ہے - لیکن پنجاب کے حالات کو پچھلے دو سال سے اس طرح کے چل رہے ہیں - وہ تو دو سال سے برننگ پرابلم بنا ہوا ہے - ظاہر ہے کہ اس بل کو کافی سوچ سمجھکر سبھی سیاسی جماعتوں سے صلاح مشورہ کرکے لایا جانا چاہئے تھا - منسٹر صاحب نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا کہ حکومت کو لیجسلیشن کا حق حاصل ہے- جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو تو تمکو اسکا حق ہے مگر ہمیں انتہائی جوڈیشس فیصلہ کرنا پڑیگا کہ کیا اتنے اہم مسئلے پر اس طرح سے آرڈیننس جاری کرنا ٹھیک ہے -

ہماری پارٹی اسکی تائید کرتی ہیں- مگر اس بل کی تائید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملک سے مذہب کی آزادی ختم کر دی جائے- بات ایسی نہیں ہے - مذہب کی آزادی اہم چیز ہے - مذہب ریلیجن سوسائٹی اور پالیٹکس - یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اور ان سب میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے - ان باتوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے - لہذا ان مخصوص حالات میں اس بل کی تائید کی جا رہی ہے - مگر جب اس بل کا امپلیمنٹیشن کیا جائیگا تو اس وقت ہم کو خاص خیال کرنا پڑےگا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بل کا امپلیمنٹیشن کرنا پڑیگا - اس بات کا بھی خیال کیا کیا جائے کہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اسکا برسر اقتدار پارٹی اپنے فائدے کیلئے استعمال نہ کرے اور خود اسکا فائدہ نہ اٹھائے - یہ بہت ہی اہم بات ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑیگا - یہ بل جب آج نافذ کیا جا رہا ہے تو اسکے لئے خوشگوار ماحول پورے ہندوستان میں پیدا کیا جانا چاہئے - تاکہ تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کر سکیں - یقین مانئے اگر آپ ایسا کرینگے تو

میں یوز آف فنڈ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسکے لئے بھی صرف مینیجر ذمہ‌دار ہوگا - اسکا ذمہ‌وار بھی مینیجر کو ٹھہرا دیا گیا ہے - میری یہ درخواست ہے کہ مس یوز آف فنڈ کیلئے جو فنڈ جمع کروانا ہے - جتنے بھی یہاں پر ٹیمپل ہیں - مسجد ہیں - گورو دوارے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اسکی ایک منیجنگ کمیٹی ہوتی ہے - اس منیجنگ کمیٹی کا ایک پریذیڈنٹ ہوتا ہے - ایک سیکٹری ہوتا ہے اور ایک ٹریژرار ہوتا ہے - جہاں تک اس فنڈ کا سوال ہے صرف ٹریژرار اس پر قابو رکھتا ہے - تو جب فنڈ پر ٹریژرار قابو رکھتا ہے تو پھر اسکے لئے مینیجر کو سزا دینا سمجھ میں آنے والی بات بات نہیں معلوم ہوتی اسلئے میں چاہونگا کہ اس سلسلے میں منسٹر صاحب اپنا کلیریفیکیشن دیں -

جیسا کہ میں نے ابھی کہا تقدس کا مسئلہ اہم ہے - اگر اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے نفاذ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں جسکی وجہ سے خواہ مخواہ عوام میں امپلیمینٹیشن کے وقت جھگڑا کھڑا ہو جائے اور اس وقت کمیونل ٹینشن پیدا ہوں - امید ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائیگا - اتنا کہتے ہوئے مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اسکے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

جہاں تک اس بل کا تعلق ہے اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے دو سالوں سے حکومت اور مختلف سیاسی جماعتیں اسکی ضرورت محسوس کر رہی تھیں - تو تمام سیاسی جماعتوں سے اس بارے میں مشورہ کیا جانا چاہئے تھا -

اس بل کے بارے میں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں منیجر کی بات کہی گئی ہے - جہاں پر سیکشن ۷ ہے - اور جو پنشمنٹ کا سیکشن ہے اس میں مینیجر کو ذمہ‌داری دی گئی ہے - میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی مقام میں جو جلسے ہوتے ہیں جو بھی میٹنگ ہوتی ہے صرف مینیجر اس کا ذمہ‌دار نہیں ہوتا اسکے ذمہ‌دار اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں - بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیچارہ مینیجر جو ایک مجبور آدمی ہوتا ہے - جسکی وہاں پر چلتی ہی نہیں - اسکی مرضی کے خلاف بھی وہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں - ایسا ہونے پر بھی اس بیچارے کو سزا ملےگی - اس سے جو اسطرح کی ایکٹیویٹیز کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بالکل فری نکل جاینگے - اس لئے اس بات کا میں منسٹر صاحب سے کلیریفیکیشن چاہونگا - انکا اس تعلق سے کیا خیال ہے -

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन (प्रिवेशन आफ मिसयूज) बिल, 1988 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) पीठासीन हुए]

हमारे मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं और जिनके कारण इस बिल को लाने की जरुरत पड़ी है इसका खुलासा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया है । जहां तक धार्मिक स्थानों के प्रयोग की बात है, मुगलिया सल्तनत के वक्त इन मंदिरों और गुरुद्वारों में मुगलिया सल्तनत के खिलाफ आवाज उठती थी और सारी प्लानिंग और मिटिंग हुआ करती थी । उसके बाद के दिनों में देखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिये इन्हीं गुरुद्वारों, मंदिरों और इन्ही मस्जिदों ने देश को प्रेरणा दी और किसी ने गीता पर हाथ रखकर, किसी ने गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर और किसी ने कुरान पर हाथ रखकर मुल्क के लिये शहीद होने की कसमें खाई । और तो और, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम के दसवें गुरु ने अपने पिता का सर कटवा दिया जनेऊ और तिलक के लिये, जिसने अपने दो बच्चों को दीवारों पर चिनवा दिया । जिस वक्त उनके बच्चे शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि :

> "थे तो परम पुरख का दासा,
> देखन आया जगत तमाशा
> जो मुझको परमेश्वर उचरे है
> वो नरक कुंड में परे है ।"

पर दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी बात कहने वाले साहसिक महापुरुष कौम के लोग, उसके मजहब के लोग जिसने कभी कोई लड़ाई अपनी चौहदी बढ़ाने के लिए नही की, जिसने कोई भी लड़ाई अपना राज कायम करने के लिए नही की और जिसने कोई भी लड़ाई अपने परिवार की प्रभुसत्ता के लिए नहीं की आज उस मजहब को मानने वाले लोग विभ्रान्त हैं और विभ्रान्त हो कर किस तरफ चले हैं वह आज सारा विश्व देख रहा है । आए दिनों हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से हमारे विभ्रान्त युवकों का हौसला बढ़ाया है और उनको किस तरह से विभ्रान्त कर के देशद्रोह के रास्ते पर डाला है । अगर आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सोचें, उन्होंने कहा कि :

> "There are as many religions as there are individuals; but those who are conscious of the spirit of nationality do not interfere with one another's religion. If Hindus believe that India should be peopled only by Hindus, they are living in a dream land. The Hindus, the Sikhs, the Mohammadens, the Parsis and the Christians who have made India their country, are fellow-countrymen and they will have to live in unity if only for their interest. In no part of the world are one nationality and one religion synonymous; nor has it ever been so in India."

यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा । इतना ही नहीं आजादी की लड़ाई में जब जरुरत पड़ी तो लोगों ने जो बलिदान दिये थे उसके बाद इन सारी चीजों को इन कुरीतियों को जिसको ब्रिटिश साम्राज्य वादी यूज करते रहे और जिसको मुगलिया सल्तनत यूज करता रहा उन चीजों को खत्म करने के लिए हमारे फाउंडर फादर, फादर आफ दी नेशन और इस मुल्क के प्रथम प्रधानमन्त्री ने जो अपनी पहली मीटिंग बुलाई और जो फैसले लिये, उन्होंने कहा :

"Since the very idea of partition of India was concerned and consummated in the context of a communal ideology, the Founding Fathers of our Constitution wanted to ensure from the very beginning that politics should never again figure as an integral programme of the communal organisations of the Country. Their motivation as also their anxiety is clearly explained in the resolution that the Constituent Assembly passed on the 3rd April, 1948 as under:—

'Whereas it is essential for the proper functioning of the democracy and the growth of national unity and solidarity that communalism should be eliminated from Indian life, this Assembly is of the opinion that no communal organisation which by its constitution or by the exercise of discretionary power vested in any of its officers or organizers admits to or excludes from its membership persons on grounds of religion, race, caste or any of the, should be permitted to engage in any activities other than those essential for the bonafide religious, cultural, social and educational needs of the community, and that all steps, legislative and administrative necessary to prevent such activities should be taken.'"

सिर्फ इतना ही नहीं किया उस वक्त भी ऐसी सख्त जरुरत पड़ी थी कम्युनलिज्म को रोकने की और नेहरु जी ने इस रेजोल्युशन को जोर देते हुए अपने प्रोविंस के हर एक चीफ मिनिस्टर को 3 मई, 1948 को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा

"We have noticed a recrudescence of communal movements. The old RSS is raising its head again in various forms and all kinds of rumours are afloat. I trust that your province will not permit this development. I would also like to draw your special attention to the resolution in regard to communal organisations passed by the Constituent Assembly. We have stated that we will not recognize or encourage in any way any communal organisation which has political ends. I hove that your Government will also follow this policy."

अगर इन सब चीजों को सुपाचित कर दिया जाता तब यह नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस बिल की जरुरत 1948 में थी। इस बिल की जरुरत उसी दिन थी जिस दिन यह जहर पैदा हो रहा था जिस दिन यह जहर भड़क रहा था, उसी दिन उसे रोकने की जरुरत थी।

श्री राम अवधेश सिंह : उसी दिन तो कांग्रेस को जहर फैलाने में मजा आ रहा था....(**व्यवधान**) आपको जहर लग रहा है ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप शांत रहिए। आप की बारी आयेगी तब आप बोलिएगा। अच्छी बात सुनने की कोशिश करिये।

हमारे कांस्टीटयूशन ने..(**व्यवधान**) इंडियन पीनल कोड में अच्छे प्राविजन्स दिये हैं। अगर ध्यान से देखा जाये तो सब कुछ है पर ऐसे कुछ लोग हमारे साथ बैठे है जो बोलने का अधिकार भी छीन लेते हैं। कहीं शांति से बोलने लगें तो चिल्लाने लगते हैं, बिल तो पास करने की बात दूर रही। मेरे ख्याल से यही कारण था कि 1948 में यह बिल पास नहीं हो सका और मुझे विश्वास है कि ऐसे ही तत्व हैं जो एक तरफ सरकार की गति का रोध करते है और दूसरी तरफ भड़काऊ स्पीचें देकर आग लगवाते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : 1975 में इमरजेंसी लगाकर भीतर बाहर चारों तरफ बंद कर दिया था।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेरे कहने का मतलब है कि गुरुद्वारा हो, मन्दिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा सत्संग और गुरबाणी के लिए बना है, मन्दिर पूजा के लिए बना है, मस्जिद नमाज के लिए बनी है और गिरजा प्रेअर के लिए बना है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप कृपा करके जल्दी समाप्त करिये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप पीठासीन नहीं थे तब मैंने बोलना शुरु किया, जब से आप आये हैं शायद आपने घड़ी नहीं देखी कि मैंने कब शुरु किया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैंने घड़ी देख ली है कि आपने कब शुरु किया था...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उसके पहले तेलगु देशम के वक्ता ने कितने मिनट लिये हैं वह जरा देख लें उसके बाद फिर मुझे डिस्टर्ब करिएगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री राम अवधेश सिंह : चुनाव के वक्त हर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के लोग, मस्जिद में जाते हैं... (**व्यवधान**) मस्जिद में वोट लेने जाते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आज ऐसे तत्व फिर पैदा हो रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब यह बिल लोकसभा में पास हो रहा था, तो द्वारिकापुरी के शंकराचार्य ने एक स्टेटमेंट दिया और वह स्टेटमेंट भी बहुत भड़काऊ था । वह स्टेटमेंट यह था कि आप हमारे मन्दिरों में ट्रस्ट बैठाकर हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं अगर आप में हिम्मत है तो गुरुद्वारे, मस्जिद और गिरजाघरों में जाकर दखलंदाजी करें । अगर नहीं करते हैं तो कृपा कर शंकराचार्यों के मन्दिर आप उन्हें वापस कर दें । कहीं वक्फ बोर्ड की लड़ाई होती है कहीं एस०जी०पी०सी० की लड़ाई होती है कहीं क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसियेशन की लड़ाई होती है । हमें इसमें चुनना है कि हमारे मुल्क की एकता और अखंडता किस चीज से बरकरार रहती है । हमें चुनना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है । आप अगर इतिहास देखें, वर्तमान देखें तो भविष्य आपके सामने है । मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं पर मेरे दिमाग में थोड़े संकोच है । वे संकोच ये है ...

श्री राम अवधेश सिंह : कुछ सुझाव दे दें ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आप बोलते हैं तो वे आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : बहुत करते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इस बिल में यह है कि जितने . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : जैसे डा० मिश्र सही सुझाव देते हैं उसी तरह से निर्भीक होकर यह भी सुझाव दे दें ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सिर्फ क्लाज 2(डी) पोलिटीकल पार्टी को छोड़कर पोलिटीकल पार्टी की एक्टीविटी और दूसरे को छोड़ कर वैसे भी पोलिटीकल पार्टी के बारे में अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट में चाहे वह एस०जी०पी०सी० हो, चाहे वह डी०जी०पी०सी० हो, चाहे जामा मस्जिद की कोई प्रबन्धक संस्था हो या

मन्दिर या गिरजाघर की संस्था हो पोलिटीकल पार्टी के लिए कोई अलग फंड वहां से अलाट नही होना चाहिए। यह तो कुछ गुंडे, कुछ बदमाश, कुछ देशद्रोही, उग्रवादी तत्व वहां की मैनेजमेंट कमेटी पर चढ़ कर और उन्हें डराधमका कर फंड अलाट करवाते हैं। मैं जहां तक जानता हूं किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट के बायलाज़ में आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि पोलिटीकल परपजेज़ के लिए कोई फंड हो।

श्री राम अवधेश सिंह: फंड के नाम पर उसका पोलिटीकल यूज तो करते हैं?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: वह आप जैसे ही करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अभी नही बोलिए, बाद में आप उत्तर में दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के तहत जो भवन निर्माण के बारे में बात आई है, कोई कन्स्ट्रक्शन करनी हो; तहखाना बनाना हो या गुम्बद बनाना हो या दीवार चढ़ानी हो तो इसके लिए मैं एक अलग बिल की जरुरत नहीं समझता था। इसके लिए म्युनिसिपल ला है और यहां पर जो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बनते हैं तो पहले म्युनिसिपल कमेटी में नक्शा जाता है। वहा वह पास होता है और उसी के अनुसार यह बनते हैं। म्युनिसिपल एक्ट अगर वहां कड़ाई से पेश आए तो यह नही बन सकते.. (**व्यवधान**) राम अवधेश जी अगर आप शांत नही होंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आपका नाम बोलने वालों में है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैनेजर की बात आती है तो मैं यहां अपने एक मुस्लिम बंधु से पूछ रहा था कि आपके मस्जिद में मैनेजर भी होता है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज नही होती है, हमारे यहां पर तो पेशइमाम होता है जिस पेशइमाम के पीछे सारे लोग खड़े हो कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैंने कहा अगर वह गलत आदमी है तो उसकी एप्वायंटमेंट के लिए क्या-क्या क्वालीफिकेशन्ज़ हैं? उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, वह रोज़ा रखता हो, शरीयत को मानता हो और वह नमाज़ पढ़ता हो और उसके पीछे लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। इसके सिवाय अगर वह कोई गलत काम करता है तो वह उसका डिसक्वालीफिकेशन नहीं है। मैं उस मुस्लिम दोस्त के साथ पूरा सहमत इसलिए हूं कि मैंने देखा कि रागी दर्शन सिंह जिसके खिलाफ देश-द्रोह का मामला दिल्ली कोर्ट में चल रहा है एक बार उन्हें अकाल तख्त से हटाया गया और दूसरी बार फिर बैठाया गया और एस०जी०पी०सी० ने बैठाया है। क्या सरकार उसको रोक सकती है? अगर नहीं रोक सकती एस०जी०पी०सी० की एप्वाइंटिंग अथारिटी को नहीं रोक सकती, अगर सरकार मस्जिद के मैनेजर या पेशइमाम की एप्वाइंटिंग अथारिटी में इंटरफीयर नहीं कर सकती, गिरजाघर या मंदिर की एप्वाइंटिंग अथारिटी में इंटरफीयर नहीं कर सकती या उस बोर्ड में नहीं घुस सकती तो यह बात जो लिखी गई डिस्क्वालीफिकेशन आफ पर्सनज़ कनविक्टेड और चार्जशीट अंडर दिस एक्ट यह कहां से इम्प्लीमेंट होगी? यह इम्प्लीमेंट वहीं हो सकती है जहां हमारा सरकारी दखल हो, जहां हमारा सरकारी बोर्ड हो, कार्पोरेशन हो या कोई प्रबन्धक समिति सरकारी हो। यह वहीं किया जा सकता अन्यथा यह नहीं किया जा सकता। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बारे में जरा देखें कि सारा का सारा बिल सिर्फ एक मैनेजर पर

आकर खड़ा होता है क्योंकि उस गुरुद्वारे, उस मस्जिद, उस गिरजाघर और उस मंदिर की जिम्मेदारी सिर्फ एक मैनेजर पर स्थित है और यदि हम उस मैनेजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो हम कैसे इस बिल को इंपलीमेंट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 26 में बड़े साफ अल्फाज में लिखा हुआ है--

"Freedom to manage religious affairs: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes to manage its own affairs in matters of religion, to own and accrue movable and immovable property and administer such property in accordance with law."

मेरे कहने का मतलब है कि सरकार की नजरों में मैनेजर का जो एक्ट डिस्क्वालीफाईंग है, वह डिसक्वालिफिकेशन उसके लिये वहां मैनेजर बनकर रहने का। पर वह डिसक्वालीफिकेशन उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफिकेशन का कारण हो सकता है। इसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान है और इस बिल के माध्यम से क्या प्रावधान लेकर आप आर्टिकल 26 बिना नष्ट कर इसका इंपलीमेंटेशन कर सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई वकील नहीं हूं, कोई कानून का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मेरे जेहन में ये क्वैश्चन जागे हैं। इनके लिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर विचार करने की जरुरत है क्योंकि इस बिल पर इस मुल्क की 80 करोड़ जनता की कुछ आशाएं कुछ आकांक्षाएं लगी हुई हैं कि हो सकता है कि शायद इसके बाद कम्युनलिज्म का जहर किसी गुरुद्वारे से किसी मस्जिद से, किसी मंदिर से या किसी गिराजाघर से निकलकर कुछ औरतों को, कुछ मां-बहनों को विधवा तो नहीं कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पास हो रहा है, इस पर 80 करोड़ लोगों की आखें लगी हुई है। मैं इसलिए चिंतित हूं। पर येन मुद्दा जो है कि बिल की जरुरत है, मैं कहता हूं, इसकी जरुरत तो आज बहुत है, इसकी जरुरत सन् 1948 को भी थी।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: राम अवधेश जी, ताली तो बजा दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह: ऐसे विभेदकारी बिल के समर्थन में मैं ताली नहीं बजा सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अब यह पांच बजे दूसरा आइटम है--

श्री राजेश पायलट भूतल परिवहन मंत्री का **वक्तव्य** है। श्री राजेश पायलट।

STATEMENT BY MINISTER

Harassment and Humiliation of a girl student in a DTC Bus

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): Sir, it is with a deep sense of pain and anguish that I rise to make a statement regarding the regrettable incident that took place on a DTC bus on Thursday, the 11th August, 1988 when a young college student...... *(Interruptions)*

5.00 P.M.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट अंग्रेजी में है। इसकी हिंदी प्रति नहीं मिली है। **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): महोदय, इस बारे में हम लोगों ने लिखकर भी दिया है.... **(व्यवधान)**....